15 अध्याय

बजट 2018-19 एवं आर्थिक समीक्षा 2017-18: तथ्य सार संग्रह एवं विश्लेषण

इस अध्याय में आप सीखेंगे किः

- बजट के विश्लेषण, अभिलक्ष्ण, आय के प्रमुख स्रोत, आर्थिक चुनौतियों, उपलब्धियों आदि की जानकारी देना।
- अंतरराष्ट्रीय सौर सहयोग, वैदेशिक स्रोत, सरकार द्वारा की गई पहल, आदि का वर्णन।

बजट 2018-19 की सार संचिका

- बजट समयावधि : 1 अप्रैल 2018-31 मार्च 2019
- बजट पेश करने की तिथि : 1 फरवरी 2018
- बजट 2018-19 का बजट अनुमान : 24, 42, 213 करोड़ रूपये
- बजट 2017-18 का बजट अनुमान : 21, 46, 735 करोड़ रूपये
- बजट 2017-18 का संशोधित अनुमान : 22, 17, 750 करोड़ रूपये

केन्द्रीय बजट एवं रेल बजट 2018-19 : एक विश्लेषण (An Analysis: Center and Rail Budget - 2018 - 19)

केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने 1 फरवरी, 2018 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के समक्ष न्यू इंडिया बजट पेश किया। यह एनडीए सरकार का अगले आम चुनाव से पहले अंतिम पूर्ण बजट था। बजट से पूर्व पेश आर्थिक सर्वे में प्रमुख रूप से पांच मुद्दे उभर कर आये थे। इन मुद्दों में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास को बनाये रखना अहम थे।

बजट 2018-19 के प्रमुख अभिलक्षण

- बिटक्वाइन सहित सभी आभासी मुद्राए गैर कानूनी है तथा सरकार इनके इस्तेमाल पर रोक लगाएगी।
- 10 करोड़ गरीब परिवारों को (लगभग 50 करोड़ लोग) 5 लाख रूपये का वार्षिक बीमा की सुविधा मिलेगी। यह विश्व की सबसे बड़ी बीमा योजना है।
- एक वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख रूपये से ज्यादा का वित्तीय लेन-देन करने वाले प्रतिष्ठानों के लिए पैन अनिवार्य किया गया है।
- 10 प्रमुख स्थलों को **प्रतीक पर्यटन गंतव्यों** के रूप में विकसित किया जायेगा।
- नीति आयोग 'आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस' पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करेगा।
- पीली धातु (Gold) को एक 'परिसंपत्ति श्रेणी' के रूप में विकसित करने के लिए 'व्यापक स्वर्ण नीति' बनाने की तैयारी।
- टीबी रोगियों को प्रतिमाह 500 रूपये देने का इंतजाम किया है जिसके लिये बजट में 600 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। सरकार ने 2025 तक देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है।

- केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (Central Board of Excise and Custom Duty) का नाम बदलकर **'अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड'** किया जाएगा।
- वर्ष 2018-19 के बजट में 80 हजार करोड़ रूपये विनिवेश के माध्यम से सरकार जुटाने का लक्ष्य ले कर चल रही है।
- आयकर की पुरानी कर निर्धारण प्रक्रिया को बदलकर देश भर में ई-निर्धारण प्रणाली को लागू किया जायेगा।
- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल के मासिक वेतन में वृद्धि

	पूर्व	वर्तमान
राष्ट्रपति	1.50 लाख	5 लाख
उपराष्ट्रपति	1.25 लाख	4 लाख
राज्यपाल	1.10 लाख	3.50 लाख

- हर 5 साल में महंगाई के हिसाब से सांसदों की सैलरी बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री ने मेकेनिज्म बनाने का एलान किया जिससे आटोमैटिक सैलरी बढ़ेगी।

केन्द्र सरकार की आय के प्रमुख स्रोत (Major Sources of Income of Center Government)

राजस्व आय (Revenue Receipts)

(i) कर राजस्व से प्राप्त आय [Tax Revenue Receipts]

(ii) गैर कर राजस्व से प्राप्त आय [Non-Tax Revenue Receipts]

तालिका 15.1: कर राजस्व से प्राप्त आय (करोड़ रूपये में)

कर राजस्व की मदें	2016-17	2017-18*	2017-18 #	2018-19 *
1. निगम कर (Corporation Tax)	484923.68	538744.73	563744.73	621000
2. आय कर (Income Tax)	364604.38	414255.27	441255.27	529000
3. धन कर (Wealth Tax)	185.14			
4. सीमा शुल्क (Customs Duty)	225370.34	245000	135242	112500
5. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (Union Excise Duty)	382094.41	406900	276995	259600
6. सेवा कर (Service Tax)	254498.74	275000	79507	
7. जीएसटी (Goods and Service Tax)			444631	743900
8. संघ राज्यों पर कर (Taxes on UTs)	4145.53	4679.46	4744.15	5241.56
सकल कर राजस्व	**1715822**	**1911579**	**1946119**	**2271242**
निवल कर राजस्व	**1101372**	**1227014**	**1269454**	**1480649**

स्रोत—बजट 2018-19* बजट अनुमान, # संशोधित अनुमान [*Budget Estimates, # Revised Estimates]

महत्वपूर्ण तथ्य:

- केन्द्र सरकार को सर्वाधिक राजस्व प्रदान करने वाले करो का क्रम है: **1. जीएसटी 2. निगम कर 3. आयकर 4. सीमा शुल्क**
- अप्रत्यक्ष करो से प्राप्त आय का क्रम है: **1. जीएसटी 2. सीमा शुल्क 3. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क**
- प्रत्यक्ष करो से प्राप्त आय का क्रम है: **1. निगम कर 2. आयकर**
- वर्ष 2016-17 के बजट में 'धन कर' (Wealth Tax) को समाप्त किया गया।
- 1 जुलाई 2017 से सम्पूर्ण भारत में जीएसटी लगाने से सेवा कर व अन्य प्रमुख अप्रत्यक्ष कर समाप्त कर दिये गये।
- सकल कर राजस्व-राज्यों का हिस्सा = निवल कर राजस्व

तालिका 15.2: गैर-कर राजस्व से प्राप्त आय (करोड़ रूपये में)

	गैर-कर राजस्व की मदें	2016-17	2017-18*	2017-18 #	2018-19 *
1.	ब्याज प्राप्तियां (Interest Receipts)	16229	19021	13551	15162
2.	लाभांश और लाभ (Devidend and Profit)	123017	142430	106433	107312
3.	विदेश अनुदान (External Grants)	1300	3060	3681	2667
4.	अन्यकर भिन्न राजस्व (Other Non-Tax Revenue)	130481	122728	110433	117886
5.	संघ राज्य क्षेत्रों की प्राप्तियां (Receipts of UTs)	1804	1518	1876	2062
	सकल गैर कर राजस्व	272831	288757	235974	245089

स्रोत—बजट 2018-19* बजट अनुमान, # संशोधित अनुमान [*Budget Estimates, # Revised Estimates]

तालिका 15.3: केन्द्र सरकार की सकल राजस्व प्राप्तियां (करोड़ रूपये में)

	सकल राजस्व प्राप्तियां	2016-17	2017-18*	2017-18 #	2018-19 *
(a)	केन्द्र सरकार का निवल कर राजस्व	1101372	1227014	1269454	1480649
(b)	केन्द्र सरकार का गैर-कर राजस्व	272831	288757	235974	245089
	सकल राजस्व प्राप्तियां (a + b)	1374203	1515771	1505428	1725738

स्रोत—बजट 2018-19* बजट अनुमान, # संशोधित अनुमान [*Budget Estimates, # Revised Estimates]

तालिका 15.4: केन्द्र सरकार के व्यय की प्रमुख मदे (करोड़ रूपये में)

	व्यय की मदें	2016-17	2017-18*	2017-18#	2018-19*
1.	ब्याज (Interest)	480714	523078	530843	575795
2.	रक्षा (Defence)	251781	262390	267108	282733
3.	सब्सिडी (Subsidy)	204025	240339	229716	264336
4.	पेंशन (Pension)	131401	131201	147387	168466
5.	राज्यों का अंतरण (Transfer to States)	132704	137101	120265	142858
6.	ग्रामीण विकास (Rural Development)	113877	128560	135604	138097
7.	परिवहन (Transport)	102200	124375	107092	134572
8.	कर प्रशासन (Tax Administration)	22146	12699	77747	105541
9.	शिक्षा (Education)	72016	79686	81869	85010
10.	कृषि और संबद्ध कार्यकलाप (Agriculture and Allied Activities)	50184	56992	56589	63836
11.	स्वास्थ्य (Health)	39005	48878	53198	54667
12.	शहरी विकास (Urban Development)	36946	40618	40754	41765
13.	ऊर्जा (Energy)	30964	36718	41682	41104
14.	पूर्वोत्तर राज्यों का विकास (Development of North East States)	2496	2682	2682	3000

स्रोत—बजट 2018-19* बजट अनुमान, # संशोधित अनुमान [*Budget Estimates, # Revised Estimates]

महत्वपूर्ण तथ्य:

- भारत सरकार के शीर्ष व्यय के स्रोत हैं: **1. ब्याज अदायगी 2. रक्षा 3. सब्सिडी 4. पेंशन 5. राज्यों का अंतरण**

तालिका 15.5: विभिन्न वित्तीय वर्षों में सरकार का बजटीय व्यय (करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	बजटीय व्यय
2016-17	1975194
2017-18 *	2146735
2017-18 #	2217750
2018-19 *	2442213

स्रोत—बजट 2018-19* बजट अनुमान, # संशोधित अनुमान [*Budget Estimates, # Revised Estimates]

तालिका 15.6: सब्सिडी पर व्यय: एक दृष्टि में (करोड़ रुपये में)

सब्सिडी व्यय	2016-17	2017-18*	2017-18 #	2018-19 *
खाद्य (Food)	110173	145339	140282	169323
उर्वरक (Fertilises)	66313	70000	64974	70080
पेट्रोलियम (Petroleum)	27539	25000	24460	24933
कुल सब्सिडी व्यय	**204025**	**240339**	**229716**	**264336**

स्रोत—बजट 2018-19* बजट अनुमान, # संशोधित अनुमान [*Budget Estimates, # Revised Estimates]

महत्वपूर्ण तथ्य:

- सब्सिडी व्यय भारत सरकार का तीसरा सर्वप्रमुख व्यय है।
- भारत सरकार सर्वाधिक सब्सिडी: 1. खाद्य 2. उर्वरक 3. पेट्रोलियम पर देती है।

घाटे की स्थित: एक दृष्टि में

तालिका 15.7: प्रमुख घाटे (जीडीपी के % के रूप में)

वित्तीय वर्ष	राजस्व घाटा (Revenue Deficit)	राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit)	प्रभावी राजस्व घाटा (Effective Revenue Deficit)	प्राथमिक घाटा (Primary Deficit)
2016-17	2.1	3.5	1.0	0.4
2017-18*	1.9	3.2	0.7	0.1
2017-18 #	2.6	3.5	1.5	0.4
2018-19 *	2.2	3.3	1.2	0.3

स्रोत—बजट 2018-19* बजट अनुमान, # संशोधित अनुमान [*Budget Estimates, # Revised Estimates]

तालिका 15.8: प्रमुख घाटे (करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	राजस्व घाटा (Revenue Deficit)	राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit)	प्रभावी राजस्व घाटा (Effective Revenue Deficit)	प्राथमिक घाटा (Primary Deficit)
2016-17	316381	535618	150648	54904
2017-18*	321163	546531	125813	23453
2017-18 #	438877	594849	249632	64006
2018-19 *	416034	624276	220689	48481

स्रोत—बजट 2018-19* बजट अनुमान, # संशोधित अनुमान [*Budget Estimates, # Revised Estimates]

महत्वपूर्ण तथ्य:

सरकार बजट में व्याप्त घाटे की पूर्ति के लिये वित्त का प्रबन्ध कई स्रोतों द्वारा करती है जिनमे शीर्ष स्रोत 'बाजार उधार' (सरकारी प्रतिभूति + राजकोषीय हुंडी) [Market Borrowing [Govt.Securities + T Bills] है।

तालिका 15.9: बजट 2018-19: रूपया आने व जाने की प्रमुख मदें

रूपया कहाँ से आता है (आय के प्रमुख स्रोत)

	मद	पैसे में
1.	वस्तु एवं सेवा कर	23
2.	निगम कर	19
3.	उधार और अन्य देयतायें	19
4.	आयकर	16
5.	कर भिन्न राज्य	8
6.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	8
7.	सीमा शुल्क	4
8.	ऋण भिन्न पूँजी प्राप्तियाँ	3

रूपया कहाँ जाता है (व्यय के प्रमुख स्रोत)

	मद	पैसे में
1.	करों और शुल्कों में राज्य का हिस्सा	24
2.	ब्याज की अदायगी	18
3.	केन्द्रीय क्षेत्र की योजना/आयोजना	10
4.	रक्षा	9
5.	आर्थिक सहायता	9
6.	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएँ	9
7.	वित्त आयोग और अन्य अतंरण	8
8.	अन्य व्यय	8
9.	पेंशन	5

तालिका 15.10: प्रमुख योजनाओं पर व्यय

	योजना का नाम	2016–17	2017–18 बजट अनुमान(BE)	2017–19 बजट अनुमान (BE)
1.	मनरेगा	48215	48000	55000
2.	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	5134	7377	9429
3.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	17923	19000	19000
4.	प्रधानमंत्री आवास योजना	20952	29043	27505 ↓
5.	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना	5980	6050	7000
6.	स्वच्छ भारत अभियान	12619	16248	17843
7.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	22870	27131	30634
8.	राष्ट्रीय आजीविक मिशन	3486	4849	6060
9.	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन	599	1000	1200
10.	फसल बीमा योजना	11051.33	9000	13000
11.	मूल्य स्थिरीकरण निधि	6900	3500	1500 ↓
12.	मुद्रा बैंक	900	–	600
13.	पवन विद्युत-ग्रिड इंटरएक्टिव नवीकरणीय विद्युत	489	400	750
14.	सौर विद्युत ग्रिड इंटरएक्टिव नवीकरणीय विद्युत	1992	2661	2045
15.	हरित ऊर्जा कॉरिडोर ग्रिड इंटरएक्टिव नवीकरणीय विद्युत	200	500	600
16.	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना	2966	4814	3800 ↓
17.	सौभाग्य योजना	–	–	2750
18.	सागरमाला	405.83	600	600
19.	खेलो इण्डिया	118.09	350	520.09

महत्वपूर्ण तथ्य:

उपरोक्त योजनाओं में प्रधानमंत्री आवास योजना, मूल्य स्थिरीकरण निधि व दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना पर पूर्व के वित्तीय वर्ष (2017-18 बीई) की तुलना में कम धनराशि का आबंटन हुआ जबकि शेष योजनाओं पर धनराशि का आवंटन पूर्व के वित्तीय वर्ष की तुलना में अधिक ही रहा।

तालिका 15.11: कृषि क्षेत्र

धनराशि का बजट आवंटन	कार्य योजना
• 11 लाख करोड़ रूपये:	यह राशि किसानों को संस्थागत ऋण (Institutional Debt) उपलब्ध कराने हेतु आबंटित की गई है। ***नोट***—पूर्व के वित्तीय वर्षों में संस्थागत ऋण हेतु किया गया बजटीय धन आबंटन **वित्तीय वर्ष** — **धन आवंटन धनराशि (लाख करोड़ में)** 2014-15 — 8.5 2015-16 — 9.0 2016-17 — 9.5 2017-18 — 10.0 2018-19 — 11.0 ***उद्देश्य***—कृषकों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराकर ऋणग्रस्तता के चंगुल से बाहर करना। आय व उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि आगतों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
• 10 हजार करोड़ रूपये:	यह राशि **मत्स्य क्रान्ति अवसंरचना विकास कोष** तथा पशुपालन के लिए **आधारभूत सुविधा कोष** स्थापित करने के लिए आबंटित की गयी है। ***उद्देश्य***—कृषि के साथ-साथ संबंद्ध क्रियाओं से आय के अच्छे विकल्प सुनिश्चित कराने हेतु वित्त की कमी को पूरा करना।
• 5750 करोड़ रूपये:	वर्ष 2018-19 के लिए **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम** (NRLM) हेतु आबंटित किया गया। ***उद्देश्य***—जून 2011 में इस कार्यक्रम का प्रारम्भ ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया गया जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों को देश की मुख्यधारा से जोड़ना और विभिन्न कार्यक्रमो के जरिये उनकी गरीबी दूर करना है।
• 2600 करोड़ रूपये:	यह राशि '**कृषि सिंचाई योजना**' के लिए आबंटित की गयी है। ***उद्देश्य***—वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रारम्भ की गयी इस योजना का मुख्य उद्देश्य **हर खेत को पानी** तथा **प्रति बूँद अधिक फसल है** ताकि जल उत्पादकता को बढ़ाया जा सके।
• 1290 करोड़ रूपये:	यह राशि **राष्ट्रीय बाँस मिशन** को पुनर्गठित करने हेतु दी गयी है। ***उद्देश्य***—बाँस एक प्रकार की घास है परन्तु इसे पेड़ की श्रेणी में रखे जाने के कारण उसे काटने या परिवहन के लिये मंजूरी की आवश्यकता होती थी जिससे मुख्य रूप से उत्तरी पूर्वी राज्यों के किसानों एवं आदिवासियों को नुकसान होता था। इसलिए राष्ट्रीय बाँस मिशन का पुनर्गठित किया जा रहा है ताकि किसानों की आय के स्रोत को बढ़ाया जा सके।
• 2000 करोड़ रूपये:	यह राशि 22 हजार ग्रामीण हॉट बाजारों तथा 585 एपीएमसी (APMC) में कृषि विपणन अवसंरचना के विकास हेतु एक कृषि बाजार अवसंरचना कोष की स्थापना के लिए आबंटित की गई। ***उद्देश्य***—किसानों की विकसित ग्रामीण बाजारो से जोड़ना है।
• 500 करोड़ रूपये:	यह राशि '**ऑपरेशन ग्रीन**' के लिए आबंटित की गयी है। ***उद्देश्य***—इस आपरेशन ग्रीन के तहत आलू, प्याज, टमाटर, जैसे उत्पादों के मूल्यों में उतार-चढ़ाव से निपटने के लिए प्रारम्भ किया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य:

- वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को दोहराया गया।
- आगामी खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य डेढ़ गुना करने का फैसला लिया गया।
- किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा मत्स्य व पशु पालन के लिए भी दी गयी।
- 42 मेगा फूड पार्क बनाये जाने का एलान।
- 100 अरब डॉलर के स्तर पर कृषि उत्पादों को निर्यात पहुंचाने का लक्ष्य।

तालिका 15.12: टैक्स नीतिः बजट 2018-19

प्रावधान	पूर्व स्थिति	सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य
• 12 महीने के बाद शेयर बेचने पर यदि 1 लाख रूपये या उससे ज्यादा का पूँजीगत लाभ होता है तो उस पर 10% की दर से **Long Term Capital Gain Tax** देय होगा।	अगर शेयर्स खरीदने और बेचने के साथ एसटीटी (STT) दिया गया है और उन शेयरों की होल्डिंग सीमा 12 महीने से ज्यादा है तो long term capital gain tax देय नहीं होगा।	सरकार ने बजट 2018-19 में धारा 10 (38) के तहत मिलने वाली long term capital gain की छूट को समाप्त किया है।
• 4% का स्वास्थ्य व शिक्षा उपकर (cess) आयकर व निगर कर देय होगा।	3% का शिक्षा उपकर देय था जिससे 2% प्राइमरी व 1% हायर एजूकेशन देय था।	सेस पर 1% की वृद्धि।
• नौकरपेशा वर्ग को 40 हजार रूपये की मानक कटौती दी जायेगी। (मानक कटौती उस राशि को कहा जाता है जिसे वेतन से हुई कुल आय में से घटाने के बाद कर योग्य आय की गणना की जाती है।	पूर्व में 15000 रूपये का चिकित्सा खर्च व 19200 वाहन भत्ते पर टैक्स छूट मिलती थी।	सरकार ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 16 के तहत मानक कटौती की संकृपना लायी है जिसे वर्ष 2006-07 की तात्कालिक केन्द्र सरकार ने 30 हजार के मानक कटौती को समाप्त किया था इस प्रकार सरकार ने 34200 रूपये (15 हजार व 19200) की कर छूट सीमा समाप्त कर 40 हजार की कर छूट सीमा देकर नौकरी पेशा करदाताओं को मात्र 5800 रूपये कर लाभ दिया है।
• 25% का निगम कर, वार्षिक 250 करोड के टर्न ओवर वाली पंजीकृत कम्पनियों को देना होगा।	वर्ष 2015-16 में 50 करोड़ के वार्षिक टर्न ओवर वाली कम्पनी पर 24% निगम कर देय था।	वर्तमान में 99 प्रतिशत से अधिक लघु व मध्ययम वर्ग के उद्यमियों को इस फैसले से राहत मिलेगी।

नोट—इनकम टैक्स स्लैब पूर्व की भांति बनी हुई है।

आयकरदाताओं के लिए कर छूट के प्रावधान

- 80 C, 80CCC और 80CCD में निम्न मदों में निवेश करने से सरकार आयकर में छूट देती है जिसकी सीमा वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 1.5 लाख रूपये है।

आयकर से छूट वाले निवेश के क्षेत्र

- Public Provident Fund (PPF)
- Employee Provident Fund (EPF)
- Bank Fixed Deposit
- Senior Citizen Saving Scheme
- Tution Fees of two Child
- LIC Premium
- National Saving Scheme (NSC)
- Equity linked Saving Scheme (ELSS)
- Investment in Sukanya Samriddhi Yojana
- National Pension Scheme (NPS)
- Home Loan EMI
- Stamp Duty and Grant given in P.M. National Relief Fund (80G)
- Political Funding (80GGC)

तालिका 15.13: सरकार द्वारा आयातित वस्तुओं पर लगने वाले सीमा शुल्क को जिन वस्तुओं पर बढ़ाया है, की सूची

वस्तु	पूव सीमा शुल्क (% में)	वर्तमान सीमा शुल्क (% में)
मोबाइल फोन	15	20
स्मार्ट वाच	10	20
मोबाइल फोन एक्सेसरीज	7.5-10	15
एलसीडी/एलईडी	7.5	15
फ्रूट जूस	30	50
सिल्क फेब्रिक	10	20

महत्वपूर्ण तथ्य:

उक्त वस्तुओं के आयात पर सीमा शुल्क बढ़ाने का उद्देश्य घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है।

महिला विशेष

- उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त घरेलू रसोई गैस कनेक्शन का लक्ष्य 5 करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़ किया गया है।
- 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश (मैटरनिटी लीव) किया गया जो पूर्व में 12 सप्ताह था।
- नौकरी पेशा महिलाओं को करियर के शुरूआती चरण के पहले तीन वर्षों में 12 फीसदी के स्थान पर मात्र 8 प्रतिशत ही पी.एफ. में योगदान करना होगा। अर्थात महिलाएं ज्यादा सेलरी लेकर घर जा सकेंगी।
- 75,000 करोड़ रूपये के ऋण की व्यवस्था महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के ऋण उपलब्ध करने के उद्देश्य से आबंटित की गयी है।
- बजट में महिला सुरक्षा एवं सशक्तीकरण के 1366 करोड़ का प्रस्ताव किया गया।
- राष्ट्रीय पोषण मिशन को महिलाओं एवं किशोरियों को कुपोषण से बचाने के लिए शुरू किया था, इसके लिए 3000 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया जो पूर्व के बजट में मात्र 1500 करोड़ रूपये था।
- वर्ष 2017-18 का जेंडर बजट 1,13, 311.32 करोड़ रूपये का था जिसे वित्तीय वर्ष 2018-19 में बढ़ाकर 1,21,961.32 करोड़ किया गया।

शिक्षा क्षेत्र

- प्री-नर्सरी से क्लास 12 तक बिना किसी सेग्मेंट के एजुकेशन को होलिस्टिक बनाता है।
- सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान व टीचर्स ट्रेनिंग की अलग स्कीम को मर्ज कर एक नई स्कीम बनाता हैं।
- दीक्षा पोर्टल, जिससे टीचर्स अन्य टीचर्स से सीख सकते है-इसमें कोई टीचर्स कैसे क्रिएटिव होकर पढ़ा रहे है, उसका वीडियों शेयर किया जाता है।
- रिवाइटलाइंजिंग इफ्रास्ट्रक्चर एण्ड सिस्टम्स इन एजुकेशन माडल के तहत अलग 4 वर्षों के लिए 1 लाख करोड़ रूपये उपलब्ध कराये जायेंगे।
- प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप के तहत हर साल 1000 बेस्ट टैलेंट को IIT, NIT, Triple IT और ICSSR के बीटेक स्टूडेंट्स में से चुना जायेगा जो नैनो टेक्नॉलाजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स डेवलपिंग न्यू मैटेरियल जैसे विषयों पर रिसर्च करेंगे।
- पीएचडी के दौरान पहले, दूसरे साल 70 हजार मासिक और तीसरे साल 75 हजार रूपये मिलेंगे।
- 2022 तक आदिवासी बहुल्त्व (जहाँ कुल जनसंख्या का 50 प्रतिशत आदिवासी है) ब्लाकों में एकलव्य स्कूल की स्थापना करना।

रेल बजट

- 1.48 हजार करोड़ रूपये रेल बजट के लिए आबंटित, जो पिछले साल की तुलना में 13 फीसदी अधिक है।
- रेल यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा पर फोकस करने के लिए देश की पुरानी पटरियों को बदलने, कोच, इंजन लाने और सभी ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी लगाने के साथ वाई-फाई की सुविधा देने का एलान किया गया।
- ऐसे सभी स्टेशनों पर एस्केलेटर लगाने का फैसला किया गया है जहाँ रोजाना 25 हजार से अधिक यात्री आते जाते है।
- 4 हजार किलोमीटर रेल लाइनों का विद्युतिकरण किये जाने की योजना है।
- 4 हजार मानव रहित रेलवे क्रासिंग 2 साल में खत्म की जायेगी।

तालिका 15.14: रक्षा बजट

वर्ष	व्यय	जीडीपी का प्रतिशत
2013-14	2.03 लाख करोड़	1.79
2014-15	2.29 लाख करोड़	1.78
2015-16	2.46 लाख करोड़	1.74
2016-17	2.58 लाख करोड़	1.72
2017-18	2.74 लाख करोड़	1.62
2018-19	2.95 लाख करोड़	1.57

नोट—जीडीपी के प्रतिशत के आधार पर रक्षा बजट में कमी आयी।

- 2.95 लाख करोड़ के रक्षा बजट में, 99,563 करोड़ रूपये सेना के आधुनिकीकरण में तथा 1,08,853 करोड़ रूपये डिफेन्स पेंशन पर व्यय किया जाए।
- सीमावर्ती इलाकों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सेला पास में टनल बनाने का प्रस्ताव किया गया है। काफी ऊंचाई पर स्थित सेला पास अरूणाचल प्रदेश में है। चीन से सामरिक तनाव के बीच यह फैसला अहम है।

वरिष्ठ नागरिकों का बजट

वरिष्ठ नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करने के लिए बजट 2018-19 में कई महत्वपूर्ण रियायतों की घोषणा की गयी है, जो निम्नवत् है-

- बैंकों तथा डाकघरों में जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज पर छूट 10 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रूपये की गयी है। साथ ही यह छूट आवर्ती जमा योजनाओं से प्राप्त होने वाले ब्याज के लिए भी उपलब्ध होगी।
- प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के अंतर्गत निवेश की वर्तमान सीमा (7.5 लाख) को बढ़ाकर 15 लाख रूपये किया गया। यह योजना मार्च 2020 तक जारी रहेगी।
- आयकर की धारा 80डी के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम या चिकित्सा व्यय में कटौती सीमा को 30 हजार रूपये से बढ़ाकर 50 हजार रूपये कर दिया गया है। इसके बाद अब सभी वरिष्ठ नागरिक किसी स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम या किसी चिकित्सा के संक्षिप्त में 50 हजार रूपये प्रतिवर्ष तक कटौती के लाभ का दावा कर सकेंगे।
- आयकर की धारा 80 डीडीबी में गंभीर बीमारी के संदर्भ में चिकित्सा खर्च के लिए कटौती सीमा को 60 हजार रूपये और अति वरिष्ठ नागरिकों को 80 हजार रूपये बढ़ाकर 1 लाख रूपये का प्रस्ताव किया।

सरकार की उपलब्धियाँ

- 12 वर्ष पहले यानी 2005-06 में 36 प्रतिशत महिलाएं बेरोजगार थीं जबकि वर्ष 2015-16 में यह आंकड़ा 24 प्रतिशत रहा गया।
- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना को केन्द्र में रखकर सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना वर्ष 2015 में प्रारम्भ की जो काफी सफल रही। नवम्बर 2017 तक तथा 1.26 करोड़ नागरिकों ने 19183 करोड़ रूपये इन खातों में जमा करवाये है।
- वर्ष 2005 में प्रारम्भ की गयी मुद्रा योजना के अन्तर्गत अब तक 10.38 करोड़ लोगों को 4.6 लाख करोड़ रूपये का ऋण दिया जा चुका है। 10.38 करोड़ लोगों को बांटे गये ऋण में से 7.88 करोड़ महिलाये थी जो कुल संख्या का प्रतिशत होती है। यदि इस स्थिति पर गौर किया जाये तो लगभग सरकार उज्जवला योजना के तहत जितनी महिलाओं को मुफ्त गैस कलेक्शन देने का लक्ष्य (8 करोड़) निर्धारित किया उतनी संख्या के आस-पास सरकार महिलाओं को मुद्रा योजना के तहत लाभान्वित अर्थात ऋण दे चुकी है।
- देश में अब तक 6 करोड़ शौचालय बनाये गये हैं। इस वर्ष 2 करोड़ शौचालय और बनाकर नारी गरिमा का ध्यान रखा जायेगा।
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के दायरे में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सहित अभी गरीब परिवारों को लाने के लिए सरकार ने इस योजनाओं में क्रमश: 330 रूपये और 12 रूपये वार्षिक प्रीमियम पर दो लाख रूपये का क्रमश: जीवन बीमा व दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराया है। वर्तमान में 5.22 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के द्वारा लाभान्वित किया गया है और 13.25 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की सुविध दी गयी।
- मुद्रा योजना के तहत 3 लाख करोड़ रूपये ऋण देने का लक्ष्य तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में 72,500 करोड़ रूपये का विनिवेश का लक्ष्य रखा गया था परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार वित्तीय वर्ष के अंत तक 1 लाख करोड़ रूपये की राशि विनिवेश के माध्यम से जुटा लेगी।

आर्थिक समीक्षा, 2017-18
(Economic Review, 2017-18)

वर्ष 2017-18 में भारत के आर्थिक प्रदर्शन का सिंहावलोकन

- वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 लगातार तीन वित्तीय वर्षों में भारत की जीडीपी वृद्धि दर क्रमश: 7.5%, 8.0%, 7.1%, रही। यदि इन तीनों वित्तीय वर्षों की जीडीपी वृद्धि दर का औसत निकाला जाए तो यह 7% से अधिक ही रही, बावजूद इसके 2017-18 में भारत की अर्थव्यवस्था कुछ धीमी वृद्धि दर की ओर अग्रसर हुई, कारण था नोटबंदी का प्रभाव। अर्थात् अर्थव्यवस्था से तरलता (नकदी) की कमी होने से मांग और आपूर्ति पक्ष दोनों ही नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए थे।
- वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए जीडीपी वृद्धि दर 6.5 से 6.75 प्रतिशत के दायरे में रहने का अनुमान लगाया गया था, जो CSO द्वारा जारी पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2017-18 में 6.5 प्रतिशत होने का अनुमान है, जो निर्धारित प्रतिशत से थोड़ा कम है।

भारत के आर्थिक प्रदर्शन के सकारात्मक पक्षः

- लगातार तीन वर्षों की औसत वृद्धि दर 7 प्रतिशत से अधिक, जो विश्व के प्रमुख देशों में सबसे अधिक है।
- मुद्रास्फीति की वृद्धि दर को नियंत्रण में रखना, बेहतर चालू खाता शेष (BOT), जीडीपी के अनुपात में राजकोषीय घाटे में उल्लेखनीय कमी भारतीय अर्थव्यवस्था के सकारात्मक आर्थिक प्रदर्शन को दर्शाते हैं।
- 2014-15 व 2015-16 के निर्यात वृद्धि दर ऋणात्मक स्थिति में रहने के बाद 2016-17 में निर्यात वृद्धि दर में दुबारा उछाल और 2017-18 में इसकी स्थिति और अधिक मजबूत हो गई।
- जनवरी, 2018 की स्थिति के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार का स्तर बढ़कर लगभग 414 बिलियन अमरीकी डालर के आस-पास आ पहुंचा।
- युगान्तकारी परिवर्तन लाने वाला माल और सेवा कर (जीएसटी) 1 जुलाई 2017 की मध्य रात्रि को लागू किया गया।
- दीर्घकाल से बनी हुई दोहरे तुलना पत्र (Twin Balance Sheet) की समस्या का समाधन दृढतापूर्वक किया गया जिसमें बड़ी तनावग्रस्त कंपनियों को नई भारतीय दिवालियापन संहिता के अधीन समाधान करने की लिए संदेश दिये गये।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मजबूत करने के लिए बड़ा पुनर्पूंजीकरण पैकेज लागू किया गया था।

भारत के आर्थिक प्रदर्शन के समक्ष चुनौतियाँः

- कुछ देशों में बढ़ती संरक्षणवादी प्रवृत्तियाँ।
- एयर इंडिया का निजीकरण करना।
- वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 में कच्चे तेल की औसत कीमतों में 14 प्रतिशत तक बढ़ोत्तरी।
- जीएसटी का पूर्णत: स्थिरीकरण किया जाना।
- उक्त वैश्विक कारणों के चलते आने वाले वर्षों में जीडीपी की वृद्धि दर मन्द हो सकती है।

भारत सरकार द्वारा किये गये प्रयासः

- जीएसटी व्यवस्था लागू करना।
- बैंकों के एनपीए संबंधित समस्याओं के समाधन हेतु प्रयास।
- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को और अधिक उदार बनाने के लिये प्रयास।
- अवसंरचनात्मक सुधार की गति को तीव्र करना।

उपरोक्त सुधारों से यह उम्मीद की जा रही है कि वर्ष 2018-19 में देश के आर्थिक प्रदर्शन को सकारात्मक गति मिलेगी।

मुख्य आर्थिक संकेतकः

तालिका 15.15: जीडीपी व जीवीए वृद्धि दर

वित्तीय वर्ष	जीडीपी वृद्धि दर (2011-12 कीमतों पर)	जीवीए वृद्धि दर (2011-12 कीमतों पर)
2014-15	7.5	7.2
2015-16	8.0	7.9
2016-17*	7.1	6.6
2017-18#	6.5	6.1

स्रोत—आर्थिक समीक्षा 2017-18, * अनन्तिम आंकड़े # प्रथम अनन्तिम आंकड़े

उक्त तालिका जीडीपी में होने वाली वृद्धि को दर्शा रही है परन्तु वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम अतंतिम आंकड़े थोड़ा निराश करने वाले है।

तालिका 15.16: बचत दर व पूंजी निर्माण दर (जीडीपी के % के रूप में)

वित्तीय वर्ष	बचत दर	पूंजी निर्माण दर
2011-12	34.6	39.6
2012-13	33.9	38.7
2013-14	32.1	33.8
2014-15	33.1	34.4
2015-16	32.3	33.3

वित्तीय वर्ष 2015-16 में बचत दर कम होने का प्रभाव पूंजी निर्माण पर भी पड़ा। वर्ष 2014-15 में पूंजी निर्माण दर 34.4 प्रतिशत थी, जो वित्तीय वर्ष 2015-16 में घटकर 33.3 प्रतिशत रह गयी।

तालिका 15.17: प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (रुपये में)

वित्तीय वर्ष	प्रतिव्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (वर्तमान मूल्य पर)
2014-15	86,454
2015-16	94,130
2016-17	1,03,219
2017-18	1,11,782

उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि प्रतिव्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय में पूर्व के वर्षों से लगातार वृद्धि दर्ज हो रही है जो अर्थव्यवस्था के सकारात्मक पहलू को दर्शाता है परन्तु आवश्यकता इस बात की है कि आय में वृद्धि की दर को तीव्र किया जाये।

तालिका 15.18: खाद्यान्न उत्पादन (मिलियन टन में)

वित्तीय वर्ष	खाद्यान्न उत्पादन
2014-15	252.0
2015-16	251.6
2016-17	275.7
2017-18	134.7 (केवल खरीफ फसलों का उत्पादन है)

उक्त तालिका में विभिन्न वर्षों में देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन को मिलियन टन में दर्शाया गया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में खाद्यान्न उत्पादन 277.49 मिलियन टन रिकार्ड स्तर पर रहा।

तालिका 15.19: मुद्रा स्फीति की दरें

वित्तीय वर्ष	डब्ल्यूपीआई (औसत वृद्धि दर)	सीपीआई (संयुक्त औसत वृद्धि दर)
2014-15	1.2	5.9
2015-16	-3.7	4.9
2016-17	1.7	4.5
2017-18*	2.9	3.3

* अप्रैल-दिसम्बर, 2017

मुद्रास्फीति की दरों को 4 प्रतिशत के नजदीक बनाये रखने के प्रति सरकार व केन्द्रीय बैंक अपनी प्रतिबद्धता को दोहराती है और उसके लिए प्रयास भी किया जा रहे है।

तालिका 15.20: निर्यात एवं आयात वृद्धि दर % में

वित्तीय वर्ष	निर्यात में वृद्धि	आयात वृद्धि दर
2014-15	-1.3	-0.5
2015-16	-15.5	-15.0
2016-17	5.2	0.9
2017-18*	12.1	21.8

* अप्रैल-दिसम्बर, 2017

वित्तीय वर्ष 2014-15 व 2015-16 में निर्यात वृद्धि दर नकारात्मक हो गयी जो अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं। जबकि वित्तीय वर्ष में 2016-17 में निर्यात वृद्धि दर 5.2 प्रतिशत की दर से बढ़ी जो यह दर्शाती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक मन्दी के प्रभाव से बाहर निकलने में कामयाब रही। इस कामयाबी का सेहरा मेक इन इंडिया जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम पर बाँधा जा सकता है।

तालिका 15.21: विदेशी मुद्रा भण्डार (बिलियन अमेरिकी डालर में)

वित्तीय वर्ष	विदेशी मुद्रा भण्डार (बिलियन अमरीकी डालर)
2014–15	341.6
2015–16	360.2
2016–17	370.0
2017–18*	409.4

* अप्रैल-दिसम्बर, 2017

विदेशी मुद्रा भण्डार बढ़ाना, भारतीय अर्थव्यवस्था के श्रेष्ठ प्रदर्शन करने का एक अच्छा संकेतक है।

तालिका 15.22: प्रमुख घाटे की स्थिति (जीडीपी के % के रूप में)

वित्तीय वर्ष	राजस्व घाटा	सकल राजकोषीय घाटा	प्राथमिक घाटा
2014–15	2.9	4.1	0.9
2015–16	2.5	3.9	0.7
2016–17	2.1	3.5	0.4
2017–18*	1.9	3.2	0.1

* बजट अनुमान

राजस्व घाटा राजकोषीय घाटा व प्राथमिक घाटा 2016–17 में पूर्व की तुलना में अर्थात् 2015–16 के घाटे के स्तर से कम रहा, जिसे उक्त तालिका (तालिका संख्या viii) में देखा जा सकता है।

तालिका 15.23: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक वृद्धि दर प्रतिशत में (आधार वर्ष 2011-12)

वित्तीय वर्ष	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक वृद्धि दर % में (आधार वर्ष 2011-12)
2014–15	4.0
2015–16	3.3
2016–17	4.6
2017–18*	3.2

* अप्रैल-नवम्बर, 2017

औद्योगिक विकास सूचकांक की दर संतोषजनक स्थिति में है।

तालिका 15.24: भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्रवार प्रदर्शन (वृद्धि दर % में)

	क्षेत्र व उपक्षेत्र	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18*
1.	**प्राथमिक क्षेत्र/कृषि**	**−0.2**	**0.7**	**4.9**	**2.1**
	• कृषि, वानिकी व मत्स्यपालन	−0.2	0.7	4.9	2.1
2.	**द्वितीयक क्षेत्र/उद्योग**	**7.5**	**8.8**	**5.6**	**4.4**
	• खनन तथा उत्खनन	11.7	10.5	1.8	2.9
	• विनिर्माण	8.3	10.8	7.9	4.6
	• विद्युत गैस एवं जलापूर्ति	7.1	5.0	7.2	7.5
	• निर्माण	4.7	5.0	1.7	3.6
3.	**तृतीय क्षेत्र/सेवाएं**	**9.7**	**9.7**	**7.7**	**8.3**
	• व्यापार, होटल, परिवहन, भण्डारण, संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवाएं	9.0	10.5	7.8	8.7
	• वित्तीय, रिअल स्टेट एवं पेशेवर सेवाएं	11.1	10.8	5.7	7.3
	• लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाएं	8.1	6.9	11.3	9.4
	• **बाजार मूल्य पर जीडीपी**	**7.5**	**8.0**	**7.1**	**6.5**

नोट—
- कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर 2016–17 में 4.9% से बढ़ा है, भारतीय कृषि के लिए यह शुभ संकेत है।
- द्वितीयक क्षेत्र में वर्ष 2016–17 में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला उपक्षेत्र **विनिर्माण** (7.9%) रहा जबकि न्यूनतम वृद्धि दर वाला उपक्षेत्र 1.7 प्रतिशत के साथ **निर्माण क्षेत्र** रहा।

- तृतीयक क्षेत्र में वर्ष 2016-17 में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला उपक्षेत्र लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाएं हैं, इस उपक्षेत्र का तीव्र वृद्धि करने का प्रमुख कारण 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का लागू होना था, जबकि वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला उपक्षेत्र वित्तीय, रिअलस्टेट एवं पेशेवर सेवाओं का रहा है। इन उपक्षेत्रों में वृद्धि दर क्रमशः 11.1% एवं 10.8% रही, परन्तु सर्वाधिक वृद्धि करने वाला यह उपक्षेत्र, वित्तीय वर्ष 2016-17 में सर्वाधिक न्यूनतम वृद्धि दर वाला क्षेत्र (5.7 प्रतिशत) रहा, जिसका कारण था नोट बन्दी।

राजकोषीय घटनाक्रम की समीक्षा

- 2014-15, 2015-16 व 2016-17 में सरकार का सार्वजनिक वित्तीय प्रबन्धन बेहतर रहा है।
- वर्ष 2017-18 में सरकार ने राज्यों की भागीदारी में दीर्घ प्रतीक्षित जीएसटी युग की शुरूआत की।
- जीएसटी की व्यापक तैयारियों, परिकलनों और बहुआयामी परामर्शों के बाद 1 जुलाई, 2017 को लागू किया गया, फिर भी बदलाव के मात्रात्मक परिवर्तन को अपनाया जा रहा है, जिसका अर्थ है कि आगामी अनिश्चितता और संभावित लागतों का सावधनीपूर्वक प्रबंधन किया जा रहा है।

तालिका 15.25: केन्द्र सरकार की प्राप्तियों की प्रमुख मदें (प्राप्तियां लाख, करोड़ रुपये में)

विभिन्न वित्तीय वर्ष कर राजस्व (अप्रैल-नवम्बर)	निवल कर राजस्व (Net Tax Revenue)	गैर कर राजस्व (Non-Tax Revenue)	राजस्व प्राप्तियां (निवल कर राजस्व + गैर कर राजस्व) (Revenue Receipts)
2015-16	4.65	1.73	6.38
2016-17	6.21	1.75	7.96
2017-18	6.99	1.05	8.04

स्रोत—लेखा महानियंत्रक, भारत सरकार।

सरकार की वास्तविक आय उसकी राजस्व प्राप्तियाँ होती है जो निवल कर राजस्व और गैर कर राजस्व का योग होती है। उक्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि सरकार की राजस्व प्राप्तियों में निरन्तर वृद्धि बनी हुई है और राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व की भूमिका, गैर कर राजस्व की सापेक्ष अधिक है।

तालिका 15.26: केन्द्र सरकार की व्ययों की प्रमुख मदें (व्यय, लाख करोड़ रुपये में)

विभिन्न वित्तीय वर्ष (अप्रैल-नवम्बर)	राजस्व व्यय (Revenue Expenditure)	पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure)	कुल व्यय (राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय) (Total Expenditure)
2015-16	9.83	1.59	11.42
2016-17	11.44	1.42	12.87
2017-18	12.95	1.84	14.79

स्रोत—सीजीए, भारत सरकार।

तालिका 15.27: राजस्व घाटे की स्थिति (लाख करोड़ रुपये में)

विभिन्न वित्तीय वर्ष (अप्रैल-नवम्बर)	राजस्व प्राप्तियां (Revenue Receipts)	राजस्व व्यय (Revenue Expenditure)	राजस्व घाटा (राजस्व प्राप्तियां-राजस्व व्यय) (Revenue Deficit = RE↑ -RR↓)
2015-16	6.38	9.83	-3.45
2016-17	7.96	11.44	-3.48
2017-18	8.04	12.95	-4.91

स्रोत—सीजीए, भारत सरकार।

राजस्व प्राप्तियां, जब राजस्व व्यय से कम हो तो यह स्थिति **राजस्व घाटा** कहलाती है। यह तालिका स्पष्ट करती है कि भारत सरकार की आय व्यय से कम है।

तालिका 15.28: राजकोषीय घाटा (लाख करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष (अप्रैल-नवम्बर)	राजकोषीय घाटा
2015–16	4.84
2016–17	4.58
2017–18	6.12

स्रोत—सीजीए, भारत सरकार।

राजस्व घाटे में ब्याज अदायगी को जोड़ने पर **राजकोषीय घाटे** की स्थिति बनती है। वित्तीय वर्ष 2016–17 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017–18 में राजकोषीय घाटे का मूल्य बहुत तेजी से बढ़ा है।

मौद्रिक प्रबन्धन तथा वित्तीय मध्यस्थता

- वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान जनवरी माह तक कुल 5 द्वैमासिक मौद्रिक नीति प्रस्तुत की गई, जिनमें से केवल अगस्त माह (क्रम अनुसार तीसरी द्वैमासिक मौद्रिक नीति)की द्वैमासिक मौद्रिक नीति दर में कटौती की गई। जबकि शेष अवधियों में मौद्रिक नीति लगभग स्थिर बनी रही।
- नोटबंदी का प्रभाव जैसे-जैसे कम होता गया वैसे-वैसे चलन में मुद्रा व M_0 (बैकों के पास आरक्षित निधि) दोनों की वृद्धि दरें तेजी से सकारात्मक होती गयी, परन्तु बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋण विशेषकर औद्योगिक क्षेत्र को दिये जाने वाले **बैंक ऋण की वृद्धि में मन्दी व्याप्त रही।**
- वर्ष 2017–18 में शोधन अक्षमता और दिवालियापन की नई प्रक्रिया के लिए अर्थतंत्र बना, बैंकिंग क्षेत्र की अनर्जक आस्तियों (NPA) की समस्या को सुलझाने के लिए ऋण अशोधन एवं दिवालियापन संहिता का सक्रिय प्रयोग किया जा रहा है।
- स्टाक बाजार भी इस वित्तीय वर्ष (2017–18) में रिकार्ड स्तर पर पहुंचा।

तालिका 15.29: 2017–18 के दौरान मौद्रिक नीति (% में)

क्र.सं.	लागू करने की तिथि	Bank Rate/MSF	Repo Rate	Reverse Repo	CRR (NDTL का %)	SLR (NDTL का %)
1.	06–04–2017	6.50	6.25	6.00	4	20.50
2.	07–06–2017	6.50	6.25	6.00	4	20%
3.	02–08–2017	6.25	6.00	5.75	4	20.00
4.	04–10–2017	6.25	6.00	5.75	4	19.50
5.	06–12–2017	6.25	6.00	5.75	4	19.50

स्रोत—आरबीआई

नोट—
- तीसरी द्वैमासिक मौद्रिक नीति (02.08.2017) में 0.25 आधार अंकों की कटौती Bank Rate, Repo Rate, Reverse Repo में देखने को मिली।
- 13 फरवरी 2012 से बैंक दर और एमएसएफ दर को समान कर दिया गया है।
- एनडीटीएल का अर्थ है Net Demand and Time Liability बैंक अपने एनडीटीएल का निश्चित हिस्सा (आरबीआई द्वारा निर्धारित) सीआरआर और एसएलआर के रूप में मेनटेन करते हैं।
- लोकसभा ने 29 दिसम्बर 2017 को शोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक 2017 को पारित किया और राज्य सभा ने इसे 2 जरवरी 2018 को स्वीकार किया है। यह 23 नवम्बर 2017 को जारी आईबीसी संशोधन विधेयक, 2017 विषक अध्यादेश का स्थान ले रहा है।

कीमतें और मुद्रास्फीति

- देश में मुद्रास्फीति का 2017–18 के दौरान कम होना जारी रहा।
- खाद्य मुद्रास्फीति विशेषकर दालों और सब्जियों में बहुत अधिक कमी आने से सामान्य मुद्रास्फीति कम हुई।
- वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में बहुत से राज्यों में मुद्रास्फीति की दर में गिरावट देखी गई।

तालिका 15.30: प्रमुख सूचकांक एवं उनके जारी कर्ता

सूचकांक	जारी कर्ता/प्रस्तुत कर्ता
थोक मूल्य सूचकांक (WPI)	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (DIPP)
उपभोक्ता कीमत सूचकांक (समिश्र) (CPI)	केन्द्रीय साख्यिकी कार्यालय (CSO)
उपभोक्ता कीमत सूचकांक (औद्योगिक कामगार) (CPI-IW)	श्रम ब्यूरो
उपभोक्ता कीमत सूचकांक (कृषि श्रमिक) (CPI-AL)	श्रम ब्यूरो
उपभोक्ता कीमत सूचकांक (ग्रामीण श्रमिक) (CPI-RL)	श्रम ब्यूरो

तालिका 15.31: मुद्रास्फीति की दर: थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित (% में)

वित्तीय वर्ष	थोक मूल्य	सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति का दर (% में)
2012-13	6.9	आधार वर्ष 2004-05 पर आधारित
2013-14	5.2	आधार वर्ष 2004-05 पर आधारित
2014-15	1.2	आधार वर्ष 2004-05 पर आधारित
2015-16	-3.7	आधार वर्ष 2004-05 पर आधारित
2016-17	1.7	आधार वर्ष 2011-12 पर आधारित नई शृंखला
2017-18*	2.9 (अनंतिम)	आधार वर्ष 2011-12 पर आधारित नई शृंखला

* अप्रैल-दिसम्बर

तालिका 15.32: मुद्रास्फीति की दर: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित (% में)

वित्तीय वर्ष	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की दर (% में)
2012-13	10.2
2013-14	9.5
2014-15	5.9
2015-16	4.9
2016-17	4.5
2017-18*	3.3 (अनंतिम)

*अप्रैल-दिसम्बर

तालिका 15.33: उपभोक्ता व थोक मूल्य सूचकांक के विभिन्न समूह व उनका सारांश

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक		थोक मूल्य सूचकांक	
विभिन्न समूह	समूह का सारांश (% में)	विभिन्न समूह	समूह का भारांश (% में)
खाद्य एवं पेय पदार्थ	45.9	खाद्य वस्तुएं	15.3
अनाज एवं उत्पाद	9.7	अनाज	2.8
दूध एवं उत्पाद	6.6	दालें	0.6
सब्जियां	6.0	सब्जियां	1.9
दाले एवं उत्पाद	2.4	फल	1.6

तालिका 15.34: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक राज्यवार स्थिति

वित्तीय वर्ष	सीपीआई आधारित सर्वाधिक मुद्रास्फीति दर वाले राज्य	सीपीआई आधारित न्यूनतम मुद्रास्फीति दर वाले राज्य
2016–17 (अप्रैल–दिसम्बर)	1. तेलंगाना, 2. झारखण्ड, 3. आन्ध्रप्रदेश, 4. प. बंगाल, 5. गुजरात, 5. उड़ीसा	1. असम, 2. उत्तराखण्ड, 3. मध्य प्रदेश
2017–18 (अप्रैल–दिसम्बर)	1. जम्मू–कश्मीर, 2. केरल, 3. दिल्ली, 4. तमिलनाडु, 5. हिमाचल प्रदेश	1. उड़ीसा, 2. उत्तर प्रदेश, 3. छत्तीसगढ़, 4. बिहार
	नोट—उक्त राज्यों में मुद्रास्फीति की दर 4% से अधिक थी।	***नोट***—उक्त राज्यों में मुद्रास्फीति की दर 4% से कम थी।

सतत विकास, ऊर्जा और जलवायु (Sustainable Development, Energy, and Climate)

- भारत ऊर्जा, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विशेषकर नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, संपोषणीय कृषि, संपोषणीय पर्यावास, जल, वानिकी, हिमालयी पारिस्थितिकी प्रणाली और ज्ञान तथा क्षमता निर्माण से संबंधित अनेक कार्यक्रम चलाता रहा है और प्रभावी रूप से कार्यान्वित कर रहा है।
- उपरोक्त कार्यों से जलवायु परिवर्तन के उद्देश्यों को पूरा करने और सतत विकास ऊर्जा प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने की भारत की वचनबद्धता प्रदर्शित होती है।
- भारत भी यह उम्मीद करता है कि अन्तरराष्ट्रीय समुदाय समान और साझे सिद्धांतों को, परन्तु अपने–अपने दायित्वों को अनुपालन करने में उत्सुक होगा और वचन बद्धताओं को पूरा करेगा।

(i) सतत विकास के लक्ष्य (Targets of Sustainable Development)

स्थापना — सितम्बर, 2015 में अन्तरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा अंगीकृत 'संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों' को सहस्राब्दि विकास लक्ष्य (2000 से 2015) के स्थान पर अपनाया गया।

लक्ष्य व उद्देश्य — सतत विकास लक्ष्य 2030 में कुल 17 सतत विकास लक्ष्य है, जिनके 169 उद्देश्य हैं, जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त करना है।

महत्वपूर्ण तथ्य —
- सतत विकास लक्ष्यों में सभी प्रकार और सभी रूपों में व्याप्त गरीबी जिसमें चरम गरीबी भी शामिल है, को समाप्त करने के लिए एक 'सार्वभौमिक करार' शामिल है।
- भारत ने इन सतत विकास लक्ष्यों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ किये गये ऐसे कार्यक्रम जो प्रत्यक्ष रूप से सतत विकास लक्ष्यों के एजेंडा को पूरा करने में सहायक है, **जैसे:** प्रधानमंत्री जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री (शहरी/ग्रामीण) आवास योजना, बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ योजना।
- भारत उन देशों में से एक है, जिसने 19 जुलाई, 2017 को संयुक्त राष्ट्र, न्यूयार्क में उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच में सतत विकास लक्ष्य के कार्यान्वयन पर अपनी पहली 'राष्ट्रीय स्वैच्छिक समीक्षा' प्रस्तुत की थी। यह समीक्षा देश में विभिन्न कार्यक्रमों तथा प्रयासों के अन्तर्गत की गई प्रगति के विश्लेषण पर आधारित है।
- यह स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट 7 सतत विकास लक्ष्यों पर केन्द्रित है– **1. गरीबी समाप्त, 2. शून्य भुखमरी, 3. अच्छा स्वास्थ्य, 4. स्त्री पुरुष समानता, 5. उद्योग नवोन्मेष, 6. जलीय जीवन, 7. उद्देश्य के लिए भागीदारी।**
- भारत के सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 'राष्ट्रीय सतत विकास लक्ष्य' के संकेतकों के प्रारूप को तैयार किये जा रहे हैं, जो अपने अंतिम पढ़ाव पर है। कार्यान्वयन प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए एक सख्त निगरानी और रिपोर्टिंग प्रणाली स्थापित की जाएगी और वर्ष 2016 को आधार वर्ष मानते हुए सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति संबंधी विश्वसनीय सूचना और साक्ष्य तैयार किए जाएंगे।

(i) शहरी भारत और सतत विकास (Urban India and Sustainable Development)

- संयुक्त राष्ट्र विश्व शहर रिपोर्ट 2016 के अनुसार भारत में वर्ष 2030 तक 7 मेगासिटी होंगे, जिनकी आबादी दस मिलियन से अधिक होगी।

- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 377.1 मिलियन भारतीय शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, जो देश की जनसंख्या का 31.16 प्रतिशत होता है।
- वर्ष 2031 तक भारत की शहरी आबादी के लगभग 600 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है।
- भारत के शहर गरीबी, सुरक्षा उपाय और कूडा-करकट हटाने की चुनौतियों, गंदे पानी की निकासी, साफ-सफाई, रहने लायक आवास और सार्वजनिक परिवहन जैसी अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं।
- भारत सरकार ने शहरों के स्थायित्व में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें स्मार्ट सिटी मिशन, राष्ट्रीय शहरी आवास नीति (2007), स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) और नगर पालिका मानव मल प्रबंधन आदि शामिल हैं।
- आगामी 20 वर्षों के दौरान शहरी बुनियादी सुविधाओं के सृजन के लिए लगभग 39 लाख करोड़ रूपये (2009-10 की कीमतों के आधार पर) की जरूरत पड़ेगी। इसमें से लगभग 17 लाख करोड़ रूपए की जरूरत सड़कों के लिए थी और 8 लाख करोड़ रूपए की जरूरत जलापूर्ति, जल-मल निकासी, मानव मल प्रबंधन और बरसाती पानी के नालों जैसी सेवाओं के लिए थी। इसके अलावा इसके प्रचालन और अनुरक्षण के लिए लगभग 20 लाख करोड़ रूपए की अलग से जरूरत थी। इतने बड़े पैमाने पर संसाधनों की आपूर्ति करना एक भारी चुनौती है।
- संसाधनों की आपूर्ति हेतु सरकार ने **'म्युनिसिपल बॉन्ड'** के दस्तावेज की संकल्पना अपनायी है। इन बॉन्ड को जारी करने के लिए जुलाई 2015 में सेबी ने एक नवीन प्रतिभूतियों (Securities) का निर्गमन एवं सूचीकरण अधिसूचित किया। नये विनियमों में नगर निकायों या निगमित नगरीय संस्थाओं को प्राइवेट प्लेसमेंट या लोक निर्माण के माध्यम से म्युनिसिपल बांड जारी करने की अनुमति प्रदान की गई। म्युनिसिपल बांड शहरी और अवसंरचना में व्यापक निवेश संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं।

तालिका 15.35: सतत ऊर्जा तक पहुंच

योजना	प्रारंभ	उद्देश्य
• प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना	मई, 2016	• मई, 2020 तक गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को 80 मिलियन एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए इसे वर्धित किया गया है। इस योजना के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने एक अन्य योजना 'उज्ज्वला प्लस' की शुरूआत की, जिसमें सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011 के अधीन नहीं आने वाले वंचित लोगों की रसोई संबंधी आवश्यकताओं का समाधन होगा। • वर्ष 2016-17 के दौरान 3.25 करोड़ नये एलपीजी कनेक्शन दिये गये, जिसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत दिए गए 2 करोड़ कनेक्शन सम्मिलित हैं।
• दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना	2015	• इस योजना का उद्देश्य 100 फीसदी ग्रामीण विद्युतीकरण को हासिल करना है।
• सौभाग्य योजना	25 सितम्बर 2017	• इस योजना का उद्देश्य देश के सुदूर क्षेत्रों के सभी लोगों तक विद्युत उपलब्ध कराना और देश में समान रूप से सभी परिवारों को विद्युतीकरण उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शेष रह गए सभी गैर-विद्युतीकृत परिवारों में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना है। देश के 18.1 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 14.2 करोड़ (78%) ग्रामीण परिवारों को विद्युतीकृत किया जा चुका है।

(iv) अंतरराष्ट्रीय सौर सहयोग (ISA) के महत्वपूर्ण तथ्य

- आईएसए की शुरूआत श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री, भारत सरकार और श्री फ्रांकोइस ओलांद, पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस द्वारा पेरिस में 30 नवम्बर, 2015 को की गई थी। 6 दिसम्बर, 2017 को आईएसए रूपरेखा करार लागू हुआ। इस करार की रूपरेखा लागू होने के बाद आईएसए **'विधितः संधि आधारित अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन'** बन गया है।
- आईएसए प्रथम अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी संधि आधारित संगठन है, जिसका मुख्यालय भारत (गुरूग्राम, हरियाणा) में है।

- वर्तमान में 46 देशों ने इस संगठन के संधि करार पर हस्ताक्षर किए हैं और इन देशों के अतिरिक्त 19 देशों ने आईएसए रूपरेखा करार का समर्थन किया है।
- आईएसए सौर ऊर्जा के पर्याप्त संसाधनों वाले और पूर्णत: या आंशिक रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित देशों का संघ है, जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा का उपयोग करते हुए ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है।
- भारत सरकार ने आईएसए की आधारभूत निधि के लिए एक-कालिक निधि के रूप में **100 करोड़ रूपए** का प्रावधान किया है।
- आईएसए के दिन प्रतिदिन के व्यय को और बाह्य आयोजनों आदि के खर्च को पूरा करने के लिए भारत द्वारा वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक की अवधि के लिए प्रतिवर्ष **15 करोड़ रूपए** के व्यय अनुदान की सहमति दी है।
- आईएसए के अनुरोध पर भारत सरकार ने '**भारतीय विकास एवं आर्थिक सहायता स्कीम**' के तहत अपने कुल 10 बिलियन अमेरिकी डालर के लाइन ऑफ क्रेडिट में से अफ्रीकी देशों को सौर तथा सौर संबंधी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 2 बिलियन अमेरिकी डालर की 'लाइन ऑफ क्रेडिट' नियत की है।
- आईएसए के संस्थापक सदस्य के रूप में फ्रांस सरकार ने '**एजेंस फ्रांसेज डि डेवलपमेंट**' के माध्यम से आईएसए सदस्य देशों से सौर परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु 300 मिलियन यूरो देने का प्रस्ताव किया है।
- **आईएसए के कार्यक्रम** – कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा का प्रयोग, किफायती ऋण और सौर मिनी ग्रिड इसके अतिरिक्त दो अन्य नये कार्यक्रमों की शुरूआत की गयी है- 1. छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्रों को बढ़ावा देना, 2. सौर ऊर्जा का भंडारण तथा ई-गतिशीलता।
- आईएसए के अधिदेश का अनुपालन करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं के साथ कार्यनीतिक और वित्तीय साझेदारियों पर हस्ताक्षर किए गए, ये संस्थायें निम्नवत् हैं:-

UNDP	:	(United nations Development Programme)
WB	:	(World Bank)
EIB	:	(The Europian Investment Bank)
EBRD	:	(Europian Bank for Reconstruction and Development)
CP	:	(Climate Parliament)

- संयुक्त राष्ट्र और इसके अंग आईएसए के कार्यनीतिक साझेदार हैं।
- सौर परियोजनाओं के जोखिम को दूर करने और वित्तीय लागत को कम करने के लिए आईएसए द्वारा 'संयुक्त जोखिम न्यूनीकरण तंत्र' (Common Risk Mitigation Mechanism) का विकास भी किया जा रहा है।
- आईएसए की अन्य मुख्य गतिविधियों में 'डिजिटल इन्फोपीडिया' की स्थापना करना भी शामिल है, जो एक दूसरे के साथ अंत: क्रिया, संपर्क, संचार और सहयोग करने के लिए एक प्लेटफार्म के रूप में कार्य करता है।
- आईएसए की सोलर अनुसंधान एवं विकास, अनुप्रयोग तथा सुधारात्मक वित्तपोषण के लिए वैश्विक अवार्ड जारी करने की भी योजना है। आईएसए के 121 सहयोगी सदस्य देशों में असाधारण कार्य करने वाली महिला वैज्ञानिकों के लिए हरियाणा राज्य सरकार द्वारा 'कल्पना चावला सोलर अवार्ड' की शुरूआत करने पर सहमति दे दी गई है और अवार्ड के रूप में 10 करोड़ की राशि दी जायेगी।
- सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आईएसए ट्रिलियन डालर का एक मूल्यवान अवसर है। आईएसए के 121 सदस्य देशों में उपलब्ध ऐसे व्यावसायिक अवसरों से अर्थव्यवस्था और उद्योग भी लाभ उठा सकते हैं।

(v) भारत और जलवायु परिवर्तन

- भारत की जलवायु एक समान न होकर यह महाद्वीपीय से लेकर तटीय तक, अत्यधिक गर्मी से लेकर अत्यधिक सर्दी तक, अत्यधिक हवादार एवं नगण्य वर्षापात से लेकर अत्यधिक आर्द्रता एवं मूसलाधार वर्षा तक अत्यंत विविधतापूर्ण है। भारत में वर्षा की प्रवृत्ति अत्यधिक विविधता, असमान, मौसमी एवं भौगोलिक वितरण तथा बारंबार सामान्य प्रवृत्ति से विचलन को दर्शाती है।
- भारत ने घरेलू स्तर पर अपने कार्य का विकास करने के लिए कई नीतियां आरंभ की हैं और कई संस्थानिक तंत्र स्थापित किए हैं। भारत सरकार जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू कर रही है। इस योजना में सरकार द्वारा उठाये जाने वाले अन्य विभिन्न कदमों के अलावा सौर, ऊर्जा दक्षता, कृषि, जल, सतत पर्यावास, वानिकी, हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र और जानकारी से संबंधित आठ राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं। इन कार्यों में जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान करने की प्रतिबद्धता परिलक्षित होती है।

वैदेशिक क्षेत्र

- भारत का वैदेशिक क्षेत्र वर्ष 2017-18 में अब तक काफी अच्छा प्रदर्शन और सशक्त बना रहा।
- वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम छमाही (अप्रैल से सितम्बर) में भुगतान संतुलन के चालू खाते का घाटा (Current Account Deficit) जीडीपी का 1.8% बना रहा, जो एक सुखद अनुभव है।
- वस्तुओं के निर्यात में प्रदर्शन अप्रैल-दिसम्बर, 2017 की अवधि में 12.1% की वृद्धि हुई।
- निवल विदेशी निवेश का प्रदर्शन अप्रैल से सितम्बर, 2017 की अवधि में बढ़कर 17.4% हो गया।

तालिका 15.36: भारत में भुगतान संतुलन सम्बन्धी प्रगति

वित्तीय वर्ष	वस्तु का आयात (बिलियन डालर में)	वस्तुओं का निर्यात (बिलियन डालर में)	व्यापार घाटा/व्यापार शेष (BOT) (बिलियन डालर में)
2016-17	384.4	275.9	108.5
2016-17 (अप्रैल से दिसम्बर)	277.9	199.5	78.4
2017-18 (अप्रैल से दिसम्बर)	338.4	223.5	114.9

(ii) भारत का जिन देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार अधिशेष (Surplus) में है

1. अमेरिका, 2. संयुक्त अरब अमीरात, 3. बांग्लादेश, 4. नेपाल, 5. यूके

(iii) भारत का जिन देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार घाटे (Deficit) में है-

1. चीन, 2. स्विट्जरलैण्ड, 3. सऊदी अरब, 4. इराक, 5. द. कोरिया

नोट—
- चीन ऐसा मुख्य देश हैं, जो भारत के कुल व्यापार घाटे के लिए जिम्मेदार है, भारत के कुल व्यापार घाटे में चीन की भागीदारी वर्ष 2012-13 में 20.3 प्रतिशत थी, जो वर्ष 2016-17 में बढ़कर 47.1 प्रतिशत हो गयी और वर्ष 2017-18 (अप्रैल-सितम्बर) में बढ़कर 43.2 प्रतिशत हो गई।
- **भारत द्वारा चीन से आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं**- टेलीफोन, जिसमें मोबाइल, आटोमेटिक टाटा प्रोसेसिंग मशीन, डायोड तथा अन्य सेमी कंडक्टर डिवाइस, इलेक्ट्रानिक डिवाइस तथा रासायनिक उर्वरक आदि।
- **भारत द्वारा चीन को निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं**- सूतीधागा, तांबा, शुद्धिकृत और आशुद्धिकृत ताबां, पीओएल वस्तुएं, ग्रेनाइट, एल्यूमिनियम अयस्क, सब्जियां, तेल, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, कपास, पोलीमर और लौह अयस्क आदि।
- स्विटजरलैंड के मामले में व्यापार घाटे का मुख्य कारण सोने का आयात है।
- सउदी अरब और ईराक के मामले में घाटे का कारण कच्चे तेल का आयात करना है।
- द0 कोरिया के मामले में घाटे का कारण विद्युत उपकरणों एवं मशीनों तथा लोहा और इस्पात का आयात भारत द्वारा किया जाना है।

तालिका 15.37: आदृश्य मदों के अधिशेष (Surplus) की स्थिति:

वित्तीय वर्ष	अधिशेष की स्थिति (बिलियन अमेरिकी डालर)
2014-15	118.1
2015-16	107.9
2016-17	97.1
2016-17 (अप्रैल-सितम्बर)	45.6
2017-18 (अप्रैल-सितम्बर)	52.5

नोट—आदृश्य मदों के अधिशेष में 2016-17 के अप्रैल-सितम्बर की अवधि की तुलना में वर्ष 2017-18 की इसी अवधि में अधिशेष की स्थिति में वृद्धि देखने को मिली है। इसका प्रमुख कारण है- आदृश्य मदों विशेषकर यात्रा, दूर संचार, कम्प्यूटर और सूचना सेवाओं से हुई कुल आय में वृद्धि का होना है। इस अवधि में विदेशी पर्यटकों के आगमन ने वृद्धि में योगदान दिया है।

(v) शीर्ष निजी धन प्रेषण (Private Remittance) प्राप्तियों वाले देश:

1. भारत, 2. चीन, 3. फिलिपीन्स, 4. मैक्सिको, 5. पाकिस्तान, 6. नाइजीरिया, 7. मिश्र, 8. बांग्लादेश, 9. वियतनाम, 10. ग्वाटेमाला

स्त्रोत—प्रवास और धन प्रेषण पर विश्व बैंक रिपोर्ट 2017

नोट—
- निजी अंतरण प्राप्तियां जो मुख्यत: विदेशों में नौकरी करने वाले भारतीयों द्वारा जमा करायी गयी राशि को दर्शाता है।
- विश्व बैंक (अक्टूबर, 2017) के अनुसार 2017 में भारत प्रेषित धन प्राप्त करने वाला शीर्ष देश बना रहेगा। हालांकि भारत के निजी अंतरण अंतर्वाह में गिरावट आई है, जिसका मुख्य कारण निम्नवत् है-
- स्रोत देशों विशेषकर खाड़ी सहकारिता परिषद के देशों में मुख्यत: अन्तरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत में आई गिरावट के कारण श्रम बाजार का सीमित हो जाना है तथा प्रवास विरोधी भावना उत्पन्न होना।
- सऊदी अरब व संयुक्त अरब अमीरात में भारत से जाने वाले लोगों की संख्या में कमी।
- यूएसए में विदेशी श्रमिकों को किराए पर लिए जाने के प्रतिमानों को कठोर कर दिया गया है।

(vi) भुगतान शेष की स्थिति (अमेरिका डालर मिलियन में)

तालिका 15.38: चालू खाते की स्थिति

मदें	2015–16	2016–17	2016–17 (अप्रैल-सितम्बर)	2017–18 (अप्रैल-सितम्बर)
1. दृश्य मदों का निर्यात	2,66,365	2,80,138	1,34,029	1,49,211
2. दृश्य मदों का आयात	3,96,444	3,92,580	1,83,476	2,24,003
3. व्यापार शेष (1–2)	–1,30,079	–1,12,442	–49,447	– 74,792
4. अदृश्य (निवल)	1,07,928	97,147	45,580	52,548
5. चालू खाता शेष (3+4)	–22,151	–15,296	–3,868	–22,244

तालिका 15.39: पूंजी खाते की स्थिति

मदें	2015–16	2016–17	2016–17 (अप्रैल-सितम्बर)	2017–18 (अप्रैल-सितम्बर)
1. विदेशी सहायता (निवल)	1505	2013	605	691
2. वाह्य वाणिज्यिक उधर (निवल)	–4529	–6102	–3402	–1514
3. अल्पकालीन उधार	–1610	6467	–493	4575
4. बैकिंग पूंजी (निवल) (जिसमें अनिवासी जमा (निवल) को शामिल किया जाता है।)	10630	–16616	–6754	6340
5. विदेशी निवेश	31891	43224	29035	34,088
(i) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (निवल)	36021	35612	20881	19570
(ii) पोर्टफोलियो निवेश (निवल)	–4130	7612	8154	14518
6. अन्य प्रवाह (निवल)	3242	7495	1026	–2038

स्रोत—भारतीय रिजर्व बैंक

(vii) भारत के निर्यात की शीर्ष मदें

1. इंजीनियरी संबंधी वस्तुए
2. रत्न और आभूषण
3. रासायनिक और संबंधित उत्पाद
4. कपड़ा व संबंधित उत्पाद
5. पेट्रोलियम अपशिष्ट उत्पाद
6. कृषि और संबद्ध उत्पाद
7. इलेक्ट्रानिक वस्तुएं
8. समुद्री उत्पाद
9. अयस्क और खनिज
10. चर्म और चर्म उत्पाद

(viii) भारत के आयात की शीर्ष मदें

1. पेट्रोलियम तेल और स्नेहक पदार्थ
2. पूंजीगत वस्तुएं
3. रत्न और आभूषण (सोना, चाँदी, मोती कीमती पत्थर)
4. रासायनिक और संबंधित उत्पाद (जैव रसायन और उर्वरक)
5. इलेक्ट्रनिक वस्तुएं
6. कृषि और सम्बद्ध उत्पाद
7. अयस्क और खनिज (कोयला, कोक और संपीडित खंड)

तालिका 15.40: विदेशी मुद्रा भण्डार (बिलियन अमेरिकी डालर में)

वित्तीय वर्ष	विदेशी मुद्रा भण्डार की स्थिति (वित्तीय वर्ष के अंत अर्थात् मार्च में)
2010–11	304.8
2011–12	294.4
2012–13	292.0
2013–14	304.2
2014–15	341.6
2015–16	360.2
2016–17	370.0
2017–18 (अप्रैल से सितम्बर)	400.2

स्रोत—आरबीआई

तालिका 15.41: विदेशी ऋण की स्थिति

वित्तीय वर्ष	विदेशी ऋण (बिलियन अमेरिकी डालर में)	जीडीपी के प्रतिशत के रूप में विदेशी ऋण
2012-13	409.4	22.4
2013-14	446.2	23.9
2014-15	474.7	23.9
2015-16	485.1	23.5
2016-17 (R)	471.8	20.2
2017-18 (अप्रैल से सितम्बर) (P)	493.7	–

स्रोत—भारतीय रिजर्व बैंक

(R): आरक्षित, (P): अस्थायी

नोट—भारत विकासशील देशों में तीसरा सबसे बड़ा ऋणी देश है, पहला और दूसरा स्थान क्रमशः चीन और ब्राजील का है।

(xi) डंपिग रोधी उपाय

- भारत में डंपिग रोधी उपाय की सिफारिश करने वाली शीर्ष संस्था डीजीएडी (Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties) है।
- भारत द्वारा जिन वस्तुओं पर एंटी डंपिग शुल्क लगाया गया है- रसायन और पेट्रो रसायन के समूह के उत्पाद, इस्पात एवं अन्य धातुओ के उत्पाद, रबड़ व प्लास्टिक के उत्पाद।
- भारत द्वारा जिन देशों के उत्पादों पर एंटी डंपिग शुल्क लगाया गया हैं- चीन, ईरान, सउदी अरब, अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान, कनाडा, रूस, इंडोनेशिया, जार्जिया, थाईलैण्ड, नार्वे, तुर्की, बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया, यूक्रेन और ताइवान देश शामिल हैं।

नोट—
- डंप किए गए सर्वाधिक उत्पादों की मात्रा चीन से आयी है।
- वर्ष 2016 में भारत सहित समस्त देशों द्वारा 300 डंपिग रोधी अन्वेषण प्रारम्भ कराए गए जिनमें से भारत के सर्वाधिक 69 अन्वेषण थे और उसके बाद अमेरिका (37) और अर्जेटीना (25) का स्थान आता है। इसका अर्थ हुआ कि भारत ने विदेशों से आयात की जानेवाली वस्तुओं पर सर्वाधिक 'एंटी डंपिग शुल्क' लगाने की पेशकश की। इससे यह भी बात स्पष्ट है कि भारत मेक इन इंडिया को स्थापित करना चाहता है और भारतीय बाजारों को सुरक्षित करना चाहता है।

कृषि एवं खाद्य प्रबन्धन

कृषि का महत्व : एलन सेवरी के अनुसार—'कृषि केवल फसल का उत्पादन नहीं है, जैसाकि आमतौर पर समझा जाता है- यह विश्व की भूमि और जल से रोटी और कपड़े का उत्पादन है। कृषि के बिना शहर, स्टॉक बाजार, बैंक, विश्वविद्यालय, चर्च या सेना का अस्तित्व संभव नहीं है। कृषि किसी भी सभ्यता और स्थिर अर्थव्यवस्था की बुनियाद है।'

भारत में कृषि की स्थिति

- भारत जैसे विकासशील देश में कृषि क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करके उद्योग व सेवा क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने, गरीबी कम करने और विकास को बनाए रखने में कृषि और संबंधित क्षेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है।
- कृषि में उत्पादकता में सुधार लाने में सिंचाई, बीज, उर्वरक और मशीनीकरण जैसे महत्वपूर्ण साधनों पर सरकार ध्यान केन्द्रित कर रही है।
- कृषि उत्पादन मौसम, कीमतों और नीति से जुड़े जोखिमों से ग्रस्त रहता है। इसलिए आय सृजित करने वाले कार्यकलापों में विविधता लाकर कृषि क्षेत्र में ढांचागत परिवर्तनों से लाभ उठाकर इन जोखिमों को कम किया जा सकता है और अर्थव्यवस्था में विकास की गति बनाए रखी जा सकती है।

तालिका 15.42: कृषि और संबंधित क्षेत्रों की वृद्धि दर (% में)

वित्तीय वर्ष	कृषि और संबंधित क्षेत्रों की वृद्धि दर (आधार वर्ष 2011-12)
2012-13	1.5
2013-14	5.6
2014-15	-0.2
2015-16	0.7
2016-17 (अनन्तिम अनुमान)	4.9

स्रोत—सीएसओ

तालिका 15.43: कृषि और संबंधित क्षेत्रों का कुल जीवीए में हिस्सा (% में)

वित्तीय वर्ष	चालू कीमतों पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का कुल जीवीए में हिस्सा (% में)
2012-13	18.2
2013-14	18.6
2014-15	18.0
2015-16	17.5
2016-17 (अनन्तिम अनुमान)	17.4

स्रोत—सीएसओ

तालिका 15.44: फसल उत्पादन 2016–17 (चौथा अग्रिम अनुमान)

फसलें	क्षेत्र (मिलियन हे.)	उत्पादन (मिलियन टन में)
खाद्यान (अनाज एवं दाल सहित)	128.0	275.68
चावल	43.2	110.15
गेहूँ	30.6	98.38
ज्वार	5.1	4.57
मक्का	9.9	12.0
बाजरा	7.5	9.80
दालें	29.5	22.95
चना	9.6	9.33
अरहर	5.4	4.78
तिलहन	26.2	32.10
मूंगफली	5.3	7.56
रेपसीड एवं सरसों	6.0	7.98
कपास (170 किग्रा. की मिलियन गाँठ)	10.8	33.09
गन्ना	4.4	306.72

स्रोत—आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।

नोट—सर्वाधिक कृषि क्षेत्र में बोयी जाने वाली फसलें हैं:- **1. चावल, 2. गेहूँ, 3. दाल, 4. तिलहन, 5. कपास**

तालिका 15.45: रबी फसलों की बुआई 2017–18

रबी फसलें	बोया गया क्षेत्र (2017–18 में लाख हे.)	बोया गया क्षेत्र (2016–17 में लाख हे.)	अंतर % में
गेहूँ	298.7	311.2	−4.0
चावल	22.3	16.0	39.6
दलहन	163.1	155.8	4.7
मोटे अनाज	54.6	56.0	−2.5
तिलहन	79.1	82.1	−3.6
कुल	617.8	621.0	−0.5

स्रोत—फसल प्रभाग, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।

नोट—
- गेहूँ, मोटा अनाज व तिलहन के बोये गये क्षेत्र में कमी दृष्टिगोचर हो रही है, जबकि चावल, दलहन में सकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई है।
- 19 जनवरी, 2018 की स्थिति के अनुसार रबी फसलों के अन्तर्गत 617.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र लाया गया है। रबी फसलों के अंतर्गत लाया गया क्षेत्र सामान्य क्षेत्र के 98 प्रतिशत से अधिक है।

(v) कृषि आगत प्रबंधन

'कृषि की उत्पादकता' महत्वपूर्ण आगतों (Inputs) के उपयुक्त उपयोग जैसे-सिंचाई, बीज, उर्वरक, ऋण, मशीन, प्रौद्योगिकी तथा विस्तार सेवाओं पर निर्भर है। कृषि आगतो का उपयुक्त संयोजन में प्रबंधन कर, मृदा की उर्वरता खोए बिना तथा पर्यावरण को क्षति पहुंचायें बिना 'कृषि उत्पादकता' को सुधारा जा सकता है। इसके लिए नवोन्मेष (Innovation), प्रौद्योगिकी तथा आगतों को अपनाने के लिए विस्तार सेवाएं किसानों के लिए अनिवार्य हो जाती हैं।

तालिका 15.46: कृषि आगत प्रबंधन और किसानों की स्थिति

कृषि आगत प्रबंधन	भारतीय किसानों की स्थिति
• शैक्षिक स्थिति:	आगत सर्वेक्षण 2011-12 के अनुसार अनुमानित 138.11 मिलियन प्रचालनरत जोतदारों में शिक्षा का स्तर निम्नवत् है-

शिक्षा का स्तर	प्रतिशत (%) में
• अशिक्षित किसान	69.3
• पांचवी कक्षा तक शिक्षित	22.5
• माध्यमिक कक्षा तक शिक्षित	27.7
• उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शिक्षित	15.4
• वरिष्ठ माध्यमिक तक शिक्षित	5.2
• डिग्री स्तर के नीचे तकनीकी डिप्लोमा धारक	1.3
• स्नातक तथा इसके ऊपर शिक्षित	2.1

निष्कर्ष—कृषकों को कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को अपनाने तथा जोखिम न्यूनीकरण उपायों को अपनाने के लिए शैक्षिक स्तर में सुधार करना आवश्यक है।

• **बीज की स्थिति:** कुल प्रचालनरत जोत क्षेत्र में जोतदारों द्वारा बीजों के प्रयोग की स्थिति निम्नवत् है-

बीजों का प्रयोग	जोतदार (%) में
• प्रमाणित बीजों का प्रयोग	9.40
• अधिसूचित किस्म के उपयोग किये हुए बीजों का प्रयोग	27.00
• संकर बीजों का प्रयोग	9.8

निष्कर्ष—भारत में प्रमाणित बीजों का प्रयोग करने वाले किसानों का % न्यून होना, कृषि उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।

• **सिंचाई:**

- कुल फसल क्षेत्र में निवल सिंचित क्षेत्र का अखिल भारतीय प्रतिशत 34.5 है, जो खेती के एक बहुत बड़े क्षेत्र को वर्षा पर निर्भर छोड़ देता है।
- भारत में पंजाब व उत्तर प्रदेश केवल दो राज्य हैं, जहाँ कुल फसल क्षेत्र निवल सिंचित क्षेत्र 50 प्रतिशत से अधिक है।
- भारत के मात्र 7 राज्य ऐसे है, जो कुल फसल क्षेत्र का 34 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र निवल सिंचित क्षेत्र है। ये राज्य हैं- हरियाणा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, बिहार, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात एवं राजस्थान।
- सरकार ने संचित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए वर्ष 2015 में 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना' प्रारम्भ की, जो 5 वर्षों में 50 हजार करोड़ रूपये के परिव्यय के साथ अनुमोदित की गयी।
- वर्ष 2016-17 के दौरान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत 'प्रति बूंद अधिक फसल' योजना के लिए 1991.2 करोड़ रूपये आबंटित किये गये थे। वर्ष 2017-18 में इस योजना के लिए 3400 करोड़ रूपये की राशि आबंटित की गई।
- सूक्ष्म सिंचाई के अन्तर्गत लाई गयी कृषि भूमि-

वर्ष	कृषि भूमि (लाख हेक्टेयर में)
2015-16	5.7
2016-17	8.4
2017-18	12 (लक्ष्य है)

निष्कर्ष—सिंचित क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नवीन योजनाएं लागू करने के साथ-साथ सिंचाई के लिए परम्परागत विधियों के स्थान पर फव्वारा सिंचाई, ट्रिंप सिंचाई जैसी नई विधियों को अपनाने की भी आवश्यकता है।

(Continued)

तालिका 15.46: कृषि आगत प्रबंधन और किसानों की स्थिति *(Continued)*

कृषि आगत प्रबंधन	भारतीय किसानों की स्थिति
• कृषि मशीनीकरण:	फार्म मशीनीकरण और फसल उत्पादकता का सीध सहसंबंध है। कृषि में मशीनीकरण के प्रयोग के निम्नलिखित लाभ है– • फार्म मशीनीकरण समय और श्रम बचाता है। • कड़ी मजदूरी को कम करता है। • आगे चलकर उत्पादन लागत को कम करता है। • फसल कटाई के बाद की हानियों को कम करता है। • फसल की उपज और खेती की आय को बढ़ाता है। • एक अनुमान के अनुसार कृषि में उन्नत उपकरणों का प्रयोग करने से 30 प्रतिशत तक उत्पादकता बढ़ती है और खेती की लागत में 20 प्रतिशत तक की कमी आती है। • भारत में ट्रैक्टर उद्योग विश्व में सबसे बड़े ट्रैक्टर उद्योग के रूप में उभरता है और कुल वैश्विक ट्रैक्टर उत्पादन का लगभग एक तिहाई उत्पादन भारत में होता है। • विश्व बैंक के अनुमानों के अनुसार वर्ष 2050 तक भारत की आधी आबादी शहरों में निवास करेगी ऐसी स्थिति में कृषि क्षेत्र में लगे कुल कामगारों का प्रतिशत जो वर्ष 2001 में 58.2 प्रतिशत था वह 2050 तक घटकर 25.7 प्रतिशत हो जाएगा। • ***प्रमुख कृषि यंत्र***—कंबाईन हारवेस्टर, शूगर केन हारवेस्टर, पोटेटो कंबाईन, पैडीट्रास प्लांटर, रोटा वेटर आदि। • ***निष्कर्ष***—भारत में कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण के स्तर को बढ़ाने की आवश्यकता है। क्योंकि कृषि में श्रम भागीदारी की अधिकता के चलते बहुत सी फसलों की उत्पादन लागत बहुत ज्यादा है।
• कृषि फसल बीमा:	भारत में फसलों का बीमा न करवाने के कारण निम्नवत् हैं– **प्रमुख कारण** • फसल बीमा के बारे में जागरूक न होना। • सुविधा की उपलब्धता के बारे में जागरूक न होना। • बीमा करवाने की जरूरत महसूस न होना। • बीमा सुविधा उपलब्ध न होना। **अन्य कारण** • प्रीमियम भुगतान के लिए संसाधनों की कमी। • जटिल प्रक्रियाएं। • दावा भुगतान में विलंब। ***नोट***—गेहूँ और धान के मामले में, जो देश में सर्वाधिक उगाए जाने वाले अनाज हैं, 5% से कम खेती करने वाले कृषि परिवार अपनी फसलों का बीमा करवाते हैं। **सरकारी प्रयास** • वर्ष 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रारम्भ किया गया। यह योजना बुवाई के पहले से फसल काटने के बाद तक जोखिमों के व्यापक कवरेज की व्यवस्था करती है। • वर्ष 2016–17 के दौरान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए देश में सकल फसल क्षेत्र के 30 प्रतिशत का लक्ष्य हासिल किया गया है। • खरीफ 2016 मौसम के दौरान 23 राज्यों ने इस योजना को कार्यान्वित किया है, जबकि रबी 2016–17 के दौरान 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने इस योजना को कार्यान्वित किया है।
• कृषि ऋण:	• कृषि क्षेत्र में उच्च उत्पादकता और समग्र उत्पादन प्राप्त करने के लिए 'क्रेडिट' एक महत्वपूर्ण आगत है। • सरकार ने किसानों के लिए क्रेडिट की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2006–07 से लागू ब्याज सहायता योजना व 2016 से लागू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से कृषि क्षेत्र में क्रेडिट की सुविधा को बढ़ाया है।

(Continued)

कृषि आगत प्रबंधन	भारतीय किसानों की स्थिति

- केन्द्र सरकार, किसानों को उनके द्वारा वर्ष 2017-18 के दौरान 3 लाख रूपये तक के एक वर्ष के ऋण के लिए 'लघु अवधि फसल ऋण' के सम्बन्ध में त्वरित भुगतानकर्ता किसानों को 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहायता प्रदान करेगी। अत: किसानों को प्रभावकारी रूप से केवल ब्याज के रूप में 4% ही अदा करना होगा। यदि किसान लघु अवधि फसल ऋण को समय पर भुगतान नहीं करते हैं, तो वे उपर्युक्त उपलब्ध 5% की बजाय, 2% की ब्याज सहायता के ही पात्र होंगे।

- **कृषि विपणन:**
  - 'कृषि विपणन' (Agricultural Marketing) के महत्व को सरकार बखूबी समझती है, इसलिए यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि किसान बाजार में अपने उत्पादन के संबंध में लाभदायक कीमतों का लाभ उठाए सरकार 'बाजार सुधार' कर रही है। इस क्रम में E-National Agriculture Market (e-NAM) का प्रारम्भ सरकार ने अप्रैल 2016 में किया जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म के माध्यम से बिखरे हुए कृषि उत्पादक बाजार समिति (APMC) को एकीकृत करना और किसानों के लाभ के लिए प्रतियोगी तरीके से कीमत खोज को संभव बनाना है। जबकि किसानों को आनलाइन व्यापार करने की सलाह दी जाती है। यह भी महत्वपूर्ण है कि वे मान्यता प्राप्त गोदामों में अपने उत्पादन का भण्डारण करके फसल की कटाई के पश्चात् के ऋण का फायदा उठाये। यह ऋण ऐसे छोटे व सीमान्त किसानों जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड हैं, को 6 माह की अवधि के सम्बन्ध में ऐसे भुगतान पर 2 प्रतिशत की ब्याज सहायता पर सुलभ है। इससे किसानों को बाजार में उछाल आने के समय अपनी बिक्री करने और मन्दी के दौरान बिक्री से बचने में मदद मिलेगी। अत: छोटे और सीमान्त किसानों के लिए आवश्यक है कि अपने KCC को बनाए रखें।

- **किसानों की आय: 2022 तक दोगुना करने का लक्ष्य**
  - सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के प्रति सचेत हैं तथा उसने इसके लिए कई नई योजनाँए पहले शुरू की हैं, जिसमें बीज से लेकर विपणन तक के क्रियाकलाप शामिल हैं। सरकार द्वारा अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो योजनाएं कृषि क्षेत्र के लिए चल रही है, उनमें प्रमुख है—मृदा स्वास्थ्य कार्ड, आगत प्रबन्धन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत प्रति बूंद अधिक फसल व ई-नाम इत्यादि।

- **कृषि अनुसंधान: और विकास**
  - कृषि अनुसंधान और विकास, नवाचार का मुख्य स्त्रोत है, जो दीर्घावधि में सतत् कृषि उत्पादकता वृद्धि को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
  - चालू वर्ष (2017-18) के दौरान, कृषि अनुसंधान और शिक्षा के निवेश ने भारतीय पेटेन्ट आफिस में 45 पेटेन्ट आवेदन दायर करके, नए कृषि नवाचारों का संरक्षण किया तथा संचयी पेटेन्ट आवेदनों की संख्या अब बढ़ कर 1025 हो गई है।

- **खाद्य प्रबन्धन:**
  - लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के अन्तर्गत खाद्यानों की प्राप्ति को एक कानूनी अधिकार बनाने के आशय से भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया, जो 5 जुलाई, 2013 से लागू हो गया है; इस अधिनियम में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए ग्रामीण जनसंख्या के 75% तक व्यक्तियों तथा शहरी जनसंख्या के 50% तक व्यक्तियों को इसके दायरे में शामिल करने का प्रावधान है। अत: जनसंख्या का लगभग दो तिहाई हिस्सा इसके दायरे में आता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पहचाने गए पात्र व्यक्ति-चावल/गेहूँ/न्यूट्री ग्रेन्स (मोटे अनाज) के सम्बन्ध में 3/2/1 रूपये प्रति किग्रा. के आर्थिक सहायता प्राप्त मूल्य पर प्रतिमाह प्रतिव्यक्ति 5 किग्रा. खाद्यान्न पाने के हकदार हैं।
  - मौजूदा अन्तोदय अन्न योजना के परिवार, जो निर्धन से निर्धन श्रेणी के है, प्रति परिवार प्रति माह 35 किग्रा. खाद्यान्न प्राप्त करते रहेंगे।
  - एक नवम्बर, 2016 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया, को सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित कर दिया गया है और वे एनएफएसए के अन्तर्गत खाद्य अनाज का मासिक आबंटन प्राप्त कर रहे हैं।
  - वर्ष 2017-18 के दौरान भारत सरकार द्वारा एनएफएसए और एनएफएसए इतर के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में अनाजों के वितरण का ब्यौरा निम्नवत् है-

क्रम संख्या	प्रमुख कारण	खाद्यान मात्र में (लाख टन में)
1.	एनएफएसए	552.86
2.	त्यौहार आपदा इत्यादि में	4.48
3.	अन्य कल्याणकारी योजनाएं	49.09
	कुल	606.43

स्रोत—खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

(vi) **भारतीय कृषि की दशा व दिशा**

- भारत में कृषि विकास में उतार-चढ़ाव आ रहे हैं, क्योंकि भारत में कृषि का 50% से अधिक वर्षा पर निर्भर है। इस क्षेत्र में हालांकि वर्षों में धीरे-धीरे ढांचागत परिवर्तन देखें गए हैं, जिसके चलते कृषि के सकल मूल्य वर्धन (GVA) में पशुधन का हिस्सा धीरे-धीरे बढ़ रहा है।
- भारत में कृषि क्षेत्र में देखे जा रहे ढांचागत परिवर्तन संबद्ध कार्यकलापों जैसे-डेयरी, लैंगिक-विशिष्ट हस्तक्षेप (कृषि में महिलाओं की भूमिका) सहित पशुधन विकास पर ध्यान देते हुए कृषि मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करने के संदर्भ में, इस क्षेत्र से जुड़ी नीतियों को नई दिशा देना जरूरी बना देता है।
- जनगणना 2011 के अनुसार कुल महिला प्रमुख कामगारों में से 55 प्रतिशत कृषि श्रमिक और 24 प्रतिशत खेतीहर थे।
- वर्तमान में प्रचालनरत जोत क्षेत्रों में मात्र 12.8 प्रतिशत का स्वामित्व महिलाओं के पास था, जो कृषि में जोत क्षेत्रों के स्वामित्व में लैंगिक असमानता प्रतिबिंबित करता है।
- यूएसजीएस (United State Geological Survey) 2017 के अनुसार विश्व के निवल कृषि भूमि क्षेत्र का 179.8 मिलियन हेक्टेयर भारत के पास है, जो वैश्विक निवल कृषि भूमि क्षेत्र का 9.6 प्रतिशत है, जो विश्व में सर्वाधिक है।
- वैश्विक निवल फसल भूमि क्षेत्र का 9.6 प्रतिशत रखने के चलते भारत के पास फसल विविधीकरण और खेतीबाड़ी को सतत और लाभदायक आर्थिक कार्यकलाप बनाने की प्रचुर संभावना है।
- फसल लगाने की पद्धति विभिन्न कारकों जैसे-कृषि जलवायु परिस्थितियों, खेत का आकार, कीमत, लाभप्रदता और सरकारी नीतियों द्वारा निर्धारित होती है।
- कृषक 'विविध फसल पद्धति' को अपनाकर कीमत के झटकों और उत्पादन/पैदावार से जुड़ी हानियों के संदर्भ में उठा रहे जोखिमों को समाप्त कर सकते हैं। साथ ही मृदा स्वास्थ्य, उत्पादकता में सुधार के लिये भी यह पद्धति लाभकारी सिद्ध हो सकती है।
- वर्तमान में उच्च मूल्य की फसलों तथा बागवानी फसलों को अपनाने की आवश्यकता है साथ ही फसलों में 'विविधता' लाने की आवश्यकता है, जिसके लिए सरकार ने बहुत से उपाय किये हैं, जैसे सरकार ने मूलरूप से हरित क्रांति वाले राज्यों अर्थात पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धन के क्षेत्र को कम पानी की आवश्यकता वाली फसलों जैसे-तिलहन, दलहन, मोटे अनाज, कृषि वानिकी की ओर ले जाने का प्रयास किया है। वहीं इसी क्रम में तम्बाकू उत्पादक राज्यों जैसे आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल में तम्बाकू किसानों को वैकल्पिक फसल तंत्र की ओर ले जाने के लिए 'फसल विविधीकरण कार्यक्रम' क्रियान्वित किया जा रहा है।

उद्योग और अवसंरचना का महत्व (Importance of Industry and Infrastructure)

समावेश रोजगार प्रधान उद्योगों को बढ़ावा देना और समुत्थानशील अवसंरचना का निर्माण आर्थिक संवृद्धि और विकास के महत्वपूर्ण कारक है। सरकार इस दिशा में अनेक क्षेत्र विशिष्ट उपाय कर रही है जैसे-कारोबार करने में आसानी करने के लिए वस्तु एवं सेवा कर (GST), ऋण शोधन अक्षमता व दिवालियापन संहिता जैसे ढांचागत सुधार किये है। साथ ही सरकार ने इस्पात, वस्त्र, चमड़ा और विद्युत क्षेत्र में अनेक विशिष्ट सुधार किये है ताकि इनमें से प्रत्येक क्षेत्र के साथ जुड़ी विशिष्ट चुनौतियों का समाधन किया जा सकें। इन सुधारों का परिणाम यह हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेन्सियों जैसे मूडीज ने भारत की रेटिंग को बढ़ाया है और विश्व बैंक रिपोर्ट 2018 के अन्तर्गत पेश किये जाने वाले Easy Doing Business Index में भारत ने पहली बार एक साथ 30 स्थानों में सुधर कर 100वाँ स्थान प्राप्त किया है।

उद्योग क्षेत्रः स्थिति

तालिका 15.47: उद्योग क्षेत्र का जीवीए में वृद्धि दर % में

क्षेत्र	2015-2016	2016-2017	2017-2018 अप्रैल-जून	2017-2018 जुलाई-सितम्बर
खनन और उत्खनन	10.5	1.8	−0.7	5.5
विनिर्माण	10.8	7.9	1.2	7.0
बिजली गैस जलापूर्ति तथा अन्य उपयोगिता सेवाएं	5.0	7.2	7.0	7.6
निर्माण	5.0	1.7	2.0	2.6
उद्योग	**8.8**	**5.6**	**1.6**	**5.8**

स्रोत—सीएसओ

तालिका 15.48: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) की विकास दर

क्षेत्र	भारांश	2015-2016	2016-2017	2017-2018 अप्रैल-नवम्बर
खनन	14.4	4.3	5.3	3.0
विनिर्माण	77.6	2.8	4.4	3.1
बिजली	8.6	5.7	5.8	5.2
कुल	100.0			

स्रोत—सीएसओ

नोट—सीएसओ ने मई 2017 में आईआईपी के आधार वर्ष को संशोधित करके 2004-05 से 2011-12 कर दिया।

तालिका 15.49: आर कोर उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि (%) में

क्षेत्र	भारांश	2015-2016	2016-2017	2017-2018 अप्रैल-नवम्बर
रिफाइनरी उत्पाद	28.0	4.9	4.9	3.6
बिजली	19.9	5.7	5.8	4.9
इस्पात	17.9	−1.3	10.7	7.2
कोयला	10.3	4.8	3.2	1.5
कच्चा तेल	9.0	−1.4	−2.5	−0.2
प्राकृतिक गैस	6.9	−4.7	−1.0	4.4
सीमेन्ट	5.4	4.6	−1.2	0.6
उर्वरक	2.6	7.0	0.2	−1.1
समग्र सूचकांक	**100**	**3.0**	**4.8**	**3.9**

स्रोत—औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग।

नोट:

- आईआईपी (औद्योगिक उत्पादन सूचकांक) के आधार वर्ष परिवर्तन के अनुसार, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के इन 8 मुख्य उद्योगों के सूचकांक का आधार वर्ष 2004-2005 से संशोधित करके 2011-2012 कर दिया है। ये उद्योग आईआईपी में 40 प्रतिशत हिस्सा रखते है।
- वर्ष 2016-17 में रिफाइनरी, कोयला, इस्पात, बिजली और उर्वरक में धनात्मक वृद्धि दर प्राप्त की है, जिसमें सर्व प्रमुख इस्पात (10.7 प्रतिशत) क्षेत्र की वृद्धि दर रही, इसका प्रमुख कारण सरकार द्वारा आयातित इस्पात पर एंटी डम्पिंग ड्यूटी लगाना है।

तालिका 15.50: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (बिलियन अमेरिकी डालर में)

वित्तीय वर्ष	प्राप्त एफडी.आई.
2015-16	55.56
2016-17	60.08
2017-18 (अप्रैल से सितम्बर)	33.75

नोट:

- वर्ष 2016 में घोषित एफडीआई नीति में सुधार की प्रक्रिया को अपनाते हुए छोटी सी ऋणात्मक सूची को छोड़कर अर्थात् सीमित क्षेत्र जहाँ एफडीआई का प्रवेश वर्जित है शेष सभी क्षेत्रों में एफडीआई को स्वत: अनुमोदन मार्ग (Automatic Route) के अन्तर्गत लाया गया है।
- एफडीआई नीति अंतर्वाह करने की दृष्टि से शीर्ष 3 देश हैं- 1. मारीशस, 2. सिंगापुर, 3. जापान। इन तीनों देशों का भारत के कुल एफडीआई में अंशदान क्रमश: 36.17 प्रतिशत, 20.03 प्रतिशत व 10.83 प्रतिशत रहा है।
- सर्वाधिक एफडीआई को आकर्षित करने वाले क्षेत्र है-

	क्षेत्र	एफडीआई % में
1.	सेवा (वित्त, बैंकिंग, बीमा)	19.97
2.	दूरसंचार	12.80
3.	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	8.40

(v) औद्योगिक निष्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा की गयी मुख्य पहल–

प्रयास	महत्वपूर्ण तथ्य
मेक इन इण्डिया:	• मेक इन इंडिया कार्यक्रम 25 सितम्बर, 2014 को शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य भारत को विनिर्माण, अनुसंधान और नव प्रवर्तन का वैश्विक केन्द्र तथा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का अभिन्न अंग बनाना है। सरकार ने दस 'वैश्विक क्षेत्रों' का पता लगाया है, जिनमें वैश्विक चैम्पियन बनने, विनिर्माण में दो अंकों में वृद्धि करने तथा रोजगार के ज्यादा अवसर उत्पन्न करने की सामर्थ्य है। • मेक इन इंडिया संस्करण 2.0 के अंतर्गत नए सिरे से ध्यान देने के लिए पता लगाए गए क्षेत्रों में पूंजीगत वस्तुएं, मोटर वाहन और मोटर वाहनों के पुर्जे, रक्षा और वातांतरिक्ष, जैसे प्रौद्योगिकी, चिकित्सा उपकरण, रसायन, इलैक्ट्रॉनिक प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम), चमड़ा और फुटवियर, वस्त्र और परिधान, खाद्य प्रसंस्करण, रत्न और आभूषण, नई तथा नवीकरणीय ऊर्जा, निर्माण पोत परिवहन और रेलवे शामिल हैं।
बौद्धिक सम्पदा अधिकार नीति:	• मई, 2016 में सरकार ने पहली बार बौद्धिक संपदा हेतु भविष्य का खाका तैयार करने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (आई.पी.आर) नीति को अंगीकार किया। इसका उद्देश्य भारतीय बौद्धिक संपदा पारितन्त्र को सुधारना है। इसमें आशा की गई है कि देश में अभिनव परिवर्तनों का अभियान जन्म लेगा तथा उम्मीद है कि हम 'रचनात्मक भारत, अभिनव भारत' की दिशा में अग्रसर होंगे। • इस नीति के अनुमोदन और बौद्धिक संपदा अधिकार संवर्धन तथा प्रबंधन प्रकोष्ठ सीआईपीएएम (Cipam) के सृजन के बाद, आईपीआर और पेटेंट संबंधी कार्रवाईयों में पर्याप्त सुधार हुआ है। अप्रैल-अक्टूबर, 2017 में 45449 पेटेंट तथा 15627 कापीराइट दायर किए गए थे, जबकि 9847 पेटेंट तथा 3541 कॉपीराइट प्रदान किए गए थे।
स्टार्ट-अप-इंडिया:	• देश के उद्यमी युवाओं के बीच अभिनव परिवर्तन और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए भारत के माननीय प्रधनमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त, 2015) को 'स्टार्ट-अप-इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया' पहल की घोषणा की थी। • इस पहल का उद्देश्य उस पारितंत्र को सृजित करना है, जो स्टार्ट-अप के विकास के अनुकूल हो। • स्टार्ट-अप इंडिया के लिए 19 कार्रवाई बिंदुओं वाली कार्य योजना 16 जनवरी, 2016 को प्रारंभ की गई थी। • सरकार ने स्टार्ट-अप पर विनियामक बोझ कम करने की जरूरत को स्वीकार किया है और उन्हें 3 श्रम कानूनों और 6 पर्यावरण कानूनों के अंतर्गत स्वयं-प्रमाणित अनुपालन की अनुमति प्रदान की है। • यह पहल स्टार्ट-अप को अपने मुख्य व्यवसाय पर ध्यान केन्द्रित करने और अनुपालन लागत कम रखने में मद्द देती है। • स्टार्ट-अप इंडिया केन्द्र समस्त स्टार्ट-अप पारितंत्र के लिए एकल संपर्क बिंदु के रूप में विकसित किया गया है और यह ज्ञान के आदान-प्रदान के साथ-साथ निधियों की सुलभता निश्चित करता है। • वित्त पोषण संबंधी सहायता और प्रोत्साहन की व्यवस्था करने के लिए 10,000 करोड़ रूपये की संचित निधि के साथ फंड्स फॉर स्टार्ट-अप (एफएफएस) का गठन हुआ है और इसकी प्रबंध व्यवस्था सिडबी द्वारा की जा रही है।

(vi) क्षेत्रवार मुद्दे और पहल–

क्षेत्र	पहल
• **इस्पात क्षेत्र:**	• सरकार ने फरवरी में विभिन्न इस्पात उत्पादों पर एंटी-डंपिंग शुल्कों तथा समतुल्य शुल्कों को अधिसूचित किया है।

- यह शुल्क मुख्य रूप से चीन, कोरिया, यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका, ताइवान, थाईलैंड, यूएस से आने वाले विभिन्न इस्पात उत्पादों पर लगाया गया है, ताकि भारतीय इस्पात उद्योग को बढ़ावा दिया जा सकें।

• एमएसएमई क्षेत्र:

- देश में सकल मूल्यवर्धन में एमएसएमई क्षेत्र का हिस्सा लगभग 32% है। भारत में एमएसएमई बड़े उद्योगों की अपेक्षा कम पूंजी लागत पर व्यापक पैमाने में रोजगार प्रदान करके तथा ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में भी औद्योगीकरण करके महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।
- वर्ष 2015-16 की अवधि में एनएसएस (National Sample Survey) के 73वें दौर के अनुसार देश में 633.8 लाख असमायोजित गैर-कृषि एमएसएमई विभिन्न आर्थिक कार्यकलापों में लगे हुए हैं, जिनके द्वारा 11.10 करोड़ कामगारों को रोजगार प्रदान किया जा रहा है।

• वस्त्र और परिधान:

- वस्त्र और परिधान क्षेत्र में निर्यात और रोजगार, विशेषकर महिला रोजगार में वृद्धि के लिए जबर्दस्त संभावना है।

• चमड़ा क्षेत्र:

- कपड़ा क्षेत्र की तरह ही चमड़ा क्षेत्र भी उच्च रोजगार प्रधान क्षेत्र है।
- फुटवियर क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए एक योजना अनुमोदित की गयी जिसमें पूरे तीन वित्तीय वर्ष (2017-18, 2018-19 व 2019-20) में 2600 करोड़ रूपये का परिव्यय होगा। इस योजना से चमड़ा क्षेत्र से संबंधित पर्यावरण चिंताओं को सुलझाना, अतिरिक्त निवेश को सुगम बनाना, रोजगार सृजन तथा उत्पादन में बढ़ोत्तरी सम्मिलित है।

• रत्न और आभूषण:

- भारत रत्न और आभूषण के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है। यह उद्योग देश के कुल विदेशी मुद्रा भंडार में योगदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। यह सबे तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्रों में से एक है तथा यह निर्यात केन्द्रिय तथा गहन रोजगार वाला क्षेत्र है।
- एनएनएसओ के 68वें दौर के अनुसार 2011-12 में 20.8 लाख व्यक्ति इस क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करते हैं। इस क्षेत्र का निर्यात 2014-15 में 0.7 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 12.8 प्रतिशत हो गया है।
- रत्न एवं आभूषण क्षेत्र में जबर्दस्त गुंजाइश को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में रोजगार प्रोत्साहन के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम लिये जा सकते है।
  - आभूषण डिजाइनिंग में प्रशिक्षण के लिए सरकारी निजी भागीदारी प्रतिमान में संभावनाएं तलाशी जा सकती है। आभूषण प्रशिक्षण संस्थान उत्न एवं आभूषण क्षेत्र कौशल परिषद से संबद्ध किया जा सकता है।
  - ग्रामीण क्षेत्रों में आभूषण विर्निर्माण प्रोत्साहन करने के लिए रिफाइनरी, हालमार्किंग केन्द्र इत्यादि जैसी अवसंचना स्थापित करना।
  - बहुस्तरीय आभूषण पार्कों की स्थापना जिससे अधिक संगठित माहौल में उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जा सकें।

• अवसंरचना क्षेत्र:

- उच्च एवं सतत संवृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य रूप से परिवहन, ऊर्जा, संचार, आवास एवं स्वच्छता तथा शहरी अवसंरचना में निवेश अच्छी तरह से आगे आ रहा है। अवसंचना क्षेत्र में बढ़ा हुआ निवेश प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों रूप से रोजगार सृजन करने में निश्चित रूप से मदद करेगा।

• सड़क क्षेत्र में नीतिगत उपाय:

- सड़क परिवहन यातायात हिस्से तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान दोनों के संदर्भ में भारत में परिवहन की प्रमुख प्रणाली है। माल तथा यात्रियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के अलावा सड़क परिवहन देश के सभी क्षेत्रों के संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास का संवर्धन करने में प्रमुख भूमिका निभाता है।
- परिवहन के अन्य साधनों की अपेक्षा सड़क परिवहन ने यात्री तथा माल ढुलाई, दोनों में इसकी सुगम पहुंच, प्रचालन का लचीलापन, द्वार सेवा तथा विश्वसनीयता से अपनी महत्ती उपयोगिता बनाई है।
- भारत का 56.17 लाख कि.मी. से अधिक का एक सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेसवे, राज्य राजमार्ग प्रमुख जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें तथा ग्रामीण सड़कें शामिल हैं।

राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग तथा अन्य सड़कों की लंबाई

सड़क नेटवर्क	लंबाई
राष्ट्रीय राजमार्ग/एक्सप्रेसवे	1,15,530
राज्य राजमार्ग (2015-16 के अनुसार)	1,76,166
अन्य सड़कें (2015-16 के अनुसार)	53,26,166
कुल	**56,17,812**

स्रोत—सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

- सरकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जरिए बस्तियों को ग्रामीण सड़कों के माध्यम से जोड़ रही है जो एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। जिले की सड़कें प्रमुख सड़कों और ग्रामीण सड़कों के बीच संपर्क का महत्वपूर्ण कार्य करती हैं।
- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़कों का घनत्व बिहार, ओडिशा, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में अधिक है, जबकि यह घनत्व जम्मू और कश्मीर, गुजरात, केरल और अरूणाचल प्रदेश में कम है।
- गुजरात, केरल जैसे तुलनात्मक विकसित राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों का घनत्व अधिक है, जबकि इन राज्यों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित ग्रामीण सड़कों का घनत्व कम है।

• भारत माला परियोजना:

- भारतमाला परियोजना राजमार्ग क्षेत्र के लिए नया सर्वसमाहक (अंब्रेला) कार्यक्रम है जो आर्थिक कारीडोर, अंतर कारीडोर और फीडर मार्गों के निर्माण, राष्ट्रीय कारीडोर दक्षता सुधार, सीमा और अंतरराष्ट्रीय संपर्क सड़कों, तटीय और बंदरगाह संपर्क सड़कों तथा ग्रीन-फील्ड एक्सप्रेसवे जैसे प्रभावी हस्तक्षेपों के जरिए महत्वपूर्ण अवसंरचना अंतरों को पाटते हुए देश भर में माल और यात्री आवागमन की दक्षता इष्टतम करने पर केंद्रित होगा। चरण-1 में कुल लगभग 24,800 किलोमीटर सड़कें बनाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, चरण-1 में एनएचडीपी के अंतर्गत 10,000 किलोमीटर के शेष सड़क निर्माण कार्य भी शामिल हैं। चरण-1 के लिए अनुमानित परिव्यय 5,35,000 करोड़ रुपए है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समग्र राजमार्ग निर्माण/सुधार कार्यक्रम हेतु अधिकतम संसाधन आबंटन प्राप्त करना है।

• रेलवे:

- सरकार परिवहन के अन्य साधनों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए विभिन्न परिवर्तनकारी उपायों की पहल कर रही है ताकि रेलवे को सही मार्ग पर बनाए रखा जा सके। ये उपाय महत्वपूर्ण क्षेत्रों अर्थात डेडिकेटिड फ्रेट कारीडोर, हाई स्पीड रेल, उच्च क्षमता का चल स्टाक, अंतिम छोर तक रेल संपर्क, पत्तन संपर्क में निवेशों को प्राथमिकता देना और निजी व विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित करने पर केंद्रित है।

• मेट्रो रेल तंत्र:

- तेजी से होते शहरीकरण ने जन सुविधाओं और परिवहन से जुड़े बुनियादी ढ़ांचे की मांग में बढ़ोतरी की है। अधिक क्षमता वाली रेल आधारित जन परिवहन प्रणाली, जिसे मेट्रो के नाम से जाना जाता है, को शहरी परिवहन की समस्या के समाधान के रूप में देश भर में तेजी से स्वीकारा जा रहा है।
- दिल्ली मेट्रो की सफलता के बाद, अनेक शहरों में मेट्रो रेल तंत्र को कार्यान्वित किया गया है अथवा वहां इसकी योजना बना रही है।
- भारत सरकार मेट्रो रेल परियोजनाओं सहित जन परिवहन की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए शहरों को वित्तीय सहायता दे रही है।
- दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बंगलुरू, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ और कोच्ची जैसे शहरों में इस समय 425 कि.मी. लम्बा मेट्रो रेल तंत्र प्रचालित है और विभिन्न शहरों में दिसम्बर 2017 तक लगभग और 684 कि.मी. अभी निर्माणाधीन है।
- चूंकि मेट्रो रेल परियोजनाओं में बहुत अधिक पूंजी लगती है इसलिए केवल सरकारी खजाने से मेट्रो रेल परियोजनाओं को वित्त पोषित करना कठिन है। इस संदर्भ में भारत सरकार ने देश में मेट्रो रेल के विस्तार के लिए एक पारितन्त्र स्थापित करने की दृष्टि से मेट्रो रेल नीति 2017 अधिसूचित की है। इस नीति में

अंतरराष्ट्रीय उदाहरणों से लिए गए सबक शामिल हैं और यह आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टि से मेट्रो रेल परियोजनाओं की व्यवहार्यता बढ़ाने में व्याप्त अंतराल को पाटती है।

- **नागर विमानन:**
- भारत बेची गई घरेलू टिकटों के संदर्भ में विश्वभर में तीसरा सबसे बड़ा और सर्वाधिक तेजी से बढ़ता घरेलू विमानन बाजार है। वर्ष 2016-17 में घरेलू यात्री प्रस्थान में वार्षिक वृद्धि 23.5 प्रतिशत थी जबकि संयुक्त राज्य अमरीका में यह वृद्धि 3.3 प्रतिशत और चीन में 10.7 प्रतिशत थी।

नागर विमानन क्षेत्र के विकास के लिए किए गए हालिया उपाय निम्नानुसार हैं-

- **क्षेत्रीय संपर्क योजना- 'उड़े देश का आम नागरिक' (आरसीएस-उड़ान)**—क्षेत्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण शहरों में जनता के लिए विमान सेवाओं को सुलभ और सस्ता बनाने के लिए अक्टूबर, 2016 में आरसीएस-उड़ान योजना शुरू की गई। यह योजना बाजार आधारित क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देने की विश्वस्तर की अपने किस्म की पहली योजना है। 27 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने आरसीएस-उड़ान के तहत केन्द्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापनों पर पहले ही हस्ताक्षर कर लिए हैं। निजी क्षेत्र की अनेक एयरलाइनें इस योजना में सक्रिय भागीदारी कर रही हैं।
- **विमानपत्तन विकास**—असेवित और अल्पसेवित विमान पत्तनों/एयरस्ट्रिप के पुनरुद्धार के लिए 4500 करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार की बजटीय सहायता से किया गया है और यह कार्य दिसंबर, 2018 तक पूरा किया जाएगा। एयरस्ट्रिप/विमान पत्तनों का पुनरुद्धार 'मांग प्रेरित' होगा, जो एयरलाइन प्रचालकों तथा राज्य सरकारों द्वारा की गई दृढ़ वचनबद्धता पर निर्भर करेगा।
- **सरकार ने देश में 18 ग्रीनफील्ड विमानपत्तनों की स्थापना के लिए सिद्धांत**—अनुमोदन दे दिया है। इनमें गोवा में मोपा, महाराष्ट्र में नवी मुंबई, शिरडी और सिंधुदुर्ग, कर्नाटक में बीजापुर, गुलबर्ग, हसन और शिमोगा, केरल में कन्नूर, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, मध्यप्रदेश में डाबरा, सिक्किम में पाकयोंग, पुडुच्चेरी में कराईकाल, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर, गुजरात में धेलरा और आंध्र प्रदेश में डगधरती मेंडल, भोगपुरम और ओरवाकल्लू शामिल हैं। सरकार ने इन 5 ग्रीनफील्ड विमानपत्तनों के लिए 'स्थल संबंधी स्वीकृति' दे दी है। पंजाब में मछीवाड़ा, अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर, झारखंड में जमशेदपुर, राजस्थान में अलवर और तेलंगाना में कोठागुडम।

- **पोत परिवहन:**
- पोत परिवहन किसी भी देश के वस्तु व्यापार का महत्वपूर्ण संकेतक होता है। यात्रा के संदर्भ में भारत के व्यापार का लगभग 95 प्रतिशत और मूल्य के संदर्भ में 68 प्रतिशत व्यापार का परिवहन समुद्र के जरिए होता है।
- **पोत निर्माण और पोत मरम्मत उद्योग के लिए गुंजाइश**—पोत निर्माण एक विनिर्माण उद्योग है जिसकी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें लगभग 65 प्रतिशत मूल्यवर्धन अन्य प्रौद्योगिकीय/ सहायक उद्योगों से आता है। भारत में 27 शिपयार्ड हैं जिनमें 6 केंद्र सरकारी क्षेत्र, 2 राज्य सरकारों के अंतर्गत और 19 शिपयार्ड निजी क्षेत्र उपक्रमों के तहत हैं। पोत निर्माण उद्योग प्रत्यक्ष रूप से 30,000 से अधिक लोगों को रोजगार देता है। लेकिन, पिछले वर्षों में इस उद्योग ने अपने आसपास बड़ी संख्या में सहायक यूनिटों और उन संविदाकारों का विकास किया है जो लाखों लोगों को रोजगार देते हैं।
- **वैश्विक स्तर पर, पोत निर्माण उद्योग में तीन देशों का प्रभुत्व है नामत**—दक्षिण कोरिया, चीन और जापान, जो मिलकर पोत निर्माण उद्योग के 90 प्रतिशत से अधिक हिस्से पर अधिकार रखते हैं। पोत निर्माण से जुड़े प्रमुख राष्ट्र प्रत्यक्ष वित्तपोषण और राजकोषीय प्रोत्साहन देकर अपने उद्योग को सहायता देते हैं। यह उल्लेखनीय है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग पर बहुत अनुकूल स्थिति में अवस्थित है, जहां यह व्यापार मार्ग पर पश्चिम से पूर्व को आ रहे जहाजों को अपनी पोत-मरम्मत गतिविधि के लिए आकर्षित कर सकता है। भारत की भौगोलिक दृष्टि से अनुकूल अवस्थिति, श्रम बल की प्रचुरता और कार्य की गुणवत्ता पोत मरम्मत के व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण आधार है। पोत निर्माण उद्योग के लिए बहुत गुंजाइश मौजूद है जिससे लाभ उठाया जा सकता है, जो न सिर्फ मजबूत विनिर्माण आधार का निर्माण करेगी बल्कि लाखों नौकरियां भी सृजित करेगी।

- **सागरमाला कार्यक्रम**—सागरमाला कार्यक्रम देश में पत्तन प्रेरित विकास को बढ़ावा देने के लिए पोत परिवहन मंत्रालय का फ्लैगशिप कार्यक्रम है जिसमें भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तट रेखा, 14,500 किलोमीटर लंबे संभाव्य रूप से परिवहन योग्य जलमार्ग और महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों पर अनुकूल अवस्थिति का लाभ उठाया जाएगा। सागरमाला कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कम से कम अवसंरचना निवेश करते हुए अंतरराष्ट्रीय और घरेलू व्यापार के लिए संभारिकी लागत को कम करना है। सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत, अगले 20 वर्षों में लागू किए जाने के लिए 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के संभावित निवेश की 508 परियोजनाओं की पहचान की गई है। इनमें से 2.17 लाख करोड़ रुपए मूल्य की 289 परियोजनाएं कार्यान्वयन और विकास के विभिन्न चरणों पर हैं। ये परियोजनाएं मुख्यत: निजी अथवा पीपीपी मोड के जरिए कार्यान्वित की जा रही हैं। सागरमाला के बजट शीर्ष के तहत, वर्ष 2017-18 के लिए 945.74 करोड़ रुपए की कुल राशि मंजूर की गई है और 49 परियोजनाओं के विकास एवं कार्यान्वयन के लिए 644.96 करोड़ रुपए की राशि पहले ही जारी कर दी गई है।
- **अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन (आईडब्ल्यूटी)**—गंगा नदी में राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (एनडब्ल्यू-2) संबंधित जलमार्ग विकास परियोजना, जो एक बड़ी समेकित आईडब्ल्यूटी परियोजना है, 5369 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वाराणसी और हाल्दिया के बीच प्रांरभ की गई है जो 1380 कि.मी. की दूरी को कवर करती है। एनडब्ल्यू-2 (ब्रह्मपुत्र नदी) में, धुबरी तथा हात्सिंगीमारी के बीच जुलाई 2017 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) के पोत पर आरओ-आरओ सेवा प्रारंभ की गई है। इसके अलावा, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के अंतर्गत, 106 अतिरिक्त अंतर्देशीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग (एनडब्ल्यू) घोषित किया गया है। तकनीकी-आर्थिक अध्ययनों के आधार पर, वर्ष 2017-18 में आठ नए राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास किया जा रहा है। इनमें एनडब्ल्यू-16 (बराक नदी); गोवा में तीन एनडब्ल्यू अर्थात एनडब्ल्यू-27; (कुम्बरजुआ), एनडब्ल्यू-68 (मंडोली), एनडब्ल्यू-111 (जुआरी); एनडब्ल्यू-86 (रुपनारायण नदी); एनडब्ल्यू-97 (सुंदरबन), एनडब्ल्यू-9 (एलाप्पुझा-कोट्टयम-अतीरामपुझा नहर) और एनडब्ल्यू-37 (गंडक नदी) शामिल हैं। कार्गो की संभार लागत को कम करने तथा पूर्वोत्तर और मुख्य भूमि के बीच यात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए, बांग्लादेश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

• दूरसंचार क्षेत्र:

- पिछले कुछ वर्षों में भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में प्रमुख सुधारों के परिणामस्वरूप उल्लेखनीय विकास देखा गया है। ये सुधार थे-स्पेक्ट्रम प्रबंधन, भारत नेट कार्यक्रम और 'डिजिटल इंडिया' जैसी अंब्रेला स्कीमें ताकि भारत को एक डिजिटल अर्थव्यवस्था में और ज्ञान आधारित समाज में रूपांतरित किया जा सकें। सितंबर-अंत 2017 में, कुल अभिदाताओं की संख्या 1207.04 मिलियन थी जिनमें से 501.99 मिलियन कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्रों में और 705.05 मिलियन कनेक्शन शहरी क्षेत्रों में थे। सितंबर 2017 की स्थिति के अनुसार, सभी कनेक्शनों में वायरलेस टेलीफोन अब 98.04 प्रतिशत है जबकि लैंडलाइन टेलीफोन अब 1.96 प्रतिशत पर हैं। भारत में समग्र टेलीघनत्व 93.42 प्रतिशत था जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 56.78 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 172.86 प्रतिशत था (सितंबर, 2017 की स्थिति के अनुसार)। इस समय भारत में मोबाइल उद्योग में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 4 मिलियन से अधिक लोग रोजगाररत हैं।
- विविध अवरोधों के बावजूद, सरकार दूरवर्ती और देहाती गांवों में टेलिकॉम नेटवर्क की सुविधा प्रदान करने और सभी पणधारकों की सहायता से डिजिटल खाई को पाटने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार फ्लैगशिप 'भारत नेट' परियोजना लागू (दो चरणों में) कर रही है ताकि प्रत्येक चरण में 2.5 लाख भारतीय ग्राम पंचायतों को ऑप्टीकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा जा सके। यह विश्व में अपने किस्म की सबसे बड़ी ग्रामीण संयोजकता परियोजना है, और डिजीटल भारत कार्यक्रम का प्रथम स्तम्भ है। इससे भविष्य में विविध इलेक्ट्रॉनिक ई-सेवाएं प्रदान करना और अनुप्रयोग सुविधाजनक होगा जिसमें ई-स्वास्थ्य, ई-शिक्षा, ई-शासन और ई-वाणिज्य शामिल है। इस परियोजना के चरण-2 का कार्य तीव्र गति से प्रगति पर चल रहा है। नवम्बर, 2017 की स्थिति के अनुसार, ऑप्टीकल फाइबर केबल की 2,38,677 कि.मी. लम्बी लाइन बिछाकर, यह फाइबर 1,03,275 ग्राम पंचायतों तक पहुंच गया है। सरकार ने भारत नेट परियोजना के द्वितीय चरण को 30,920 करोड़ रुपए के परिव्यय से 13 नवम्बर,

2017 को प्रवर्तित किया है। चरण-2 के मार्च, 2019 तक पूरा होने की संभावना है जिससे उच्च गति के ब्रॉडबैंड के माध्यम से 1.5 लाख ग्राम पंचायतें जुड़ेंगी।

- सरकार नई टेलिकॉम पॉलिसी बना रही है, जिसे वर्ष 2018 में, विविध पणधरियों के साथ व्यापक स्तर पर परामर्श करने के बाद, जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्य विषय, जिनको नई टेलिकॉम पॉलिसी में संबोधित करने का प्रयास किया जाएगा, उनमें सेक्टर पर प्रभाव डालने वाले नियामक एवं लाइसेंस प्रक्रिया संबंधी फ्रेमवर्क, सभी के लिए संयोजनीयता, सेवाओं की गुणवत्ता, व्यापार करने और नई प्रौद्योगिकियों के आमेलन की सुविधा तथा 5जी एवं 'वस्तुओं के इंटरनेट' भी शामिल हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) ने भी 'नेट न्यूट्रैलिटी' संबंधी नई नीति की सिफारिश की है जिसके अनुसार डाटा सेवाओं के लिए पृथक प्रशुल्क प्रतिबंधित होता है। इस नीति के अनुसार, सेवा प्रदाताओं को किसी व्यक्ति, चाहे वह वास्तविक व्यक्ति हो या कानूनी व्यक्ति हो, के साथ जो संतुष्टि, प्रेषक अथवा प्रापक, प्रोटोकोल अथवा प्रयोक्ता उपस्कर पर आधारित पक्षपात पूर्ण व्यवहार पूर्ण, कोई व्यवस्था, करार, अथवा संविदा करने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

• विद्युतः

- राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1 अप्रैल, 2015 तक अविद्युतीकृत ग्रामों की संख्या 18542 थी। 30 नवम्बर, 2017 की स्थिति के अनुसार, 15183 गांवों में विद्युतीकरण का कार्य संपन्न कर दिया गया है और 1052 ग्रामों को निवास शून्य पाया गया है। शेष 2217 ग्रामों को संभवतः मई, 2018 तक विद्युतीकृत कर दिया जाएगा। 8.83 ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना दिसम्बर, 2014 में प्रारंभ की गई थी ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में, मीटर लगाने सहित, वितरण अवसंरचना को सशक्त करने और संवर्धन के लिए वितरक कंपनियों (डिस्कॉम) को पूंजी व्यय के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। इस स्कीम के लिए आकलित परिव्यय 43033 करोड़ है। इसके अलावा, पहले राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के 39275 करोड़ रुपये के अनुमोदित परिव्यय को इस स्कीम में अग्रेषित किया गया है। 'सामान्य श्रेणी' वाले राज्यों में 60 प्रतिशत और 'विशेष श्रेणी' वाले राज्यों में 85 प्रतिशत के केंद्रीय सरकार के सहयोग से राज्यों और उनके डिस्कॉमों द्वारा इस स्कीम को कार्यान्वित किया जा रहा है।
- नई स्कीम, सौभाग्य (प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना), देश भर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बिजली लगवाने की इच्छा रखने वाले सभी बचे हुए घरों में विद्युतीकरण सुनिश्चित करने के लिए सितम्बर, 2017 में शुरू की गई थी, जिसका परिव्यय 16320 करोड़ रुपये है। इस स्कीम में मार्च, 2019 तक जिन लगभग 4 करोड़ घरों में बिजली नहीं पहुंची है, के विद्युतीकरण का विचार किया गया है। दूरस्थ और अगम्य क्षेत्रों में स्थित विद्युतीकरण से वंचित घरों के लिए बैटरी बैक-अप सहित 200-300 वाट् के पावर पैक सहित, सोलर फोटो वोल्टैक आधारित एकल सिस्टम्स की व्यवस्था की जानी है, जिसमें पांच वर्ष के लिए मरम्मत और रखरखाव सहित 5 एलईडी लाइटों, एक डीसी पंखे और एक डीसी पावर प्लॅग स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी। वर्ष 2011 की सामाजिक आर्थिक जातीय आधारित जनगणना का उपयोग करते हुए भावी लाभार्थी घरों की पहचान की जाएगी।
- भारत सरकार की ओर से 25354 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता सहित 32612 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ नवम्बर, 2014 में एकीकृत विद्युत विकास योजना का अनुमोदन किया गया था। नवम्बर, 2017 के अंत तक 3616 शहरों को शामिल करते हुए 26930 करोड़ रुपये की परियोजनाएं पहले से स्वीकृत की गई हैं और राज्य प्रतिष्ठान निर्माण कार्यों का आबंटन कर रहे हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2017-18 के लिए 30 करोड़ रुपये के बजट आबंटन के साथ भारत में स्मार्ट ग्रिड क्रियाकलापों से संबंधित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की आयोजन और मानीटरन के लिए विद्युत क्षेत्र में राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन की स्थापना का भी अनुमोदन किया है।

• ऊर्जा संरक्षणः

- विद्युत की संवर्धित उपलब्धता पर लक्षित उपर्युक्त विकास के आयामों के अलावा, ऊर्जा दक्षता को भी महत्वपूर्ण माना गया है। प्रकाश की व्यवस्था करने पर ही भारत में कुल विद्युत खपत का लगभग 20 प्रतिशत खर्च हो जाता है। निम्नलिखित को शामिल करते हुए देश में वाणिज्यिक कार्यक्षमता

सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा बहुत से अभिक्रम शुरू किए गए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं-

- **राष्ट्रीय एलईडी कार्यक्रम**—खर्च वहन करने योग्य दरों पर सर्वाधिक सफल प्रकाश की व्यवस्था करने वाली प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जनवरी, 2015 में एक कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम में (क) 77 करोड़ तापदीप्त बल्बों के स्थान पर एलईडी बल्ब प्रतिस्थापित करने के उद्देश्य के साथ घरेलू उपभोक्ताओं को एलईडी बल्ब प्रदान करते हुए सभी के लिए (उजाला) सस्ते एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति और (ख) मार्च, 2019 तक 1.34 करोड़ परम्परागत स्ट्रीट लाइटों को स्मार्ट एवं ऊर्जा कार्यक्षम एलईडी स्ट्रीट लाइटों से बदलने के लिए राष्ट्रीय स्ट्रीट प्रकाश व्यवस्था कार्यक्रम (एसएलएनपी) है। दिनांक 5 जनवरी, 2015 से शुरू करके 18 दिसंबर, 2017 तक राष्ट्रीय एलईडी कार्यक्रम के क्रियान्वयन की वर्तमान प्रगति निम्नानुसार है
- इसके अतिरिक्त, ऊर्जा संरक्षण ब्यूरो ऊर्जा संरक्षण के लिए अनेक कार्यक्रम साथ-साथ चला रहा है जिसमें उपकरणों, भवनों, यात्री कारों और भारी वाहनों आदि का मानकीकरण करना और उनकी लेबलिंग करना शामिल हैं।

सेवा क्षेत्र (Service Sector)

(i) वैश्विक जगत व भारत: सेवा क्षेत्र की तुलना

संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के आंकड़े के अनुसार निम्न तथ्य चिह्नित किये गये हैं-

- विश्व के 15 बड़े देशों की समग्र जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान वर्ष 2006 में 14वें स्थान पर था, जो वर्ष 2016 में सुधरकर 7वें स्थान पर आ गया। ये 15 बड़े जीडीपी वाले देश हैं-

तालिका 15.51: संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रीय लेखा साँख्यिकी के आँकड़ें

देश	सर्वाधिक बड़े जीडीपी वाले देशों की रैंक
संयुक्त राज्य अमेरिका	1
चीन	2
जापान	3
जर्मनी	4
यूके	5
फ्रांस	6
भारत	**7**
इटली	8
ब्राजील	9
कनाडा	10
कोरिया	11
आस्ट्रेलिया	12
रूस	13
स्पेन	14
मैक्सिको	15

- विश्व के उक्त 15 देशों में वर्ष 2006-2016 के दौरान सकल मूल्यवर्धन (GVA) में सेवाओं की हिस्सेदारी में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज कराने वाले देश है-

तालिका 15.52: वैश्विक जगत एवं भारत के सेवा क्षेत्रों की तुलना

देश	सकल मूल्यवर्धन में सेवाओं की हिस्सेदारी में वृद्धि दर (% में)
चीन	9.8
भारत	7.1
स्पेन	7.0

- वर्ष 2016 में सेवा जीवीए वृद्धि दर (स्थिर कीमतों पर) भारत में 7.8 प्रतिशत पर सबसे अधिक थी, इसके बाद चीन की 7.4 प्रतिशत पर थी।
- उक्त 15 देशों में भारत और चीन को छोड़कर अधिकांश देशों में कुल रोजगार में दो तिहाई से भी अधिक का योगदान सेवा क्षेत्र का था, जबकि भारत का हिस्सा 30.6 प्रतिशत पर सबसे कम है।
- विश्व व्यापार संगठन (WTO) के अद्यतन आकड़ों के अनुसार 2017 की पहली छमाही (अप्रैल से सितम्बर) के लिए विश्व के लिए सेवा निर्यात वृद्धि दर 4.3 प्रतिशत थी, जबकि रूस 18.4 प्रतिशत के साथ प्रथम और दूसरे स्थान पर भारत 9.9 प्रतिशत के साथ रहा।

तालिका 15.53: भारत के सेवा क्षेत्र की स्थिति (जीवीए स्थिर कीमत 2011-12 पर)

मद	2016-17 में वृद्धि दर % में	2017-18 में वृद्धि दर % में (#)
1. व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण श्रेणी से संबंधित सेवाएं	7.8	8.7
2. रियल स्टेट और व्यवसायिक सेवाएं	5.7	7.3
3. लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं	11.3	9.3
सेवा क्षेत्र	**7.7**	**8.3**

पहला अग्रिम अनुमान

स्रोत—सीएसओ

नोट—
- दिल्ली और चण्डीगढ़ सेवा जीएसवीए में 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी देते हैं, जबकि सिक्किम 31.7 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ निचले पायदान पर हैं।
- सेवा जीएसवीए वृद्धि के आधार पर बिहार शीर्ष पर हैं और उत्तर प्रदेश निचले पायदान पर है।

तालिका 15.54: भारत के सेवा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI)

क्र.सं.	क्षेत्र	मूल्य बिलियम 2016-17	यूएस डालर में 2017-18 (अप्रैल-अक्टू.)	प्रतिशत हिस्सा अप्रैल 2000 से अक्टूबर 2017 तक
1.	सेवा*	8.7	3.4	17.6
2.	निर्माण#	2.0	1.4	9.9
3.	दूरसंचार	5.6	6.1	8.4
4.	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर	3.7	3.3	7.8
5.	करोबार	2.3	1.6	4.4
6.	होटल और पर्यटन	0.9	0.6	3.0
7.	सूचना और प्रसारण	1.5	0.5	2.0
8.	अस्पताल और निदान केन्द्र	0.7	0.6	1.4
9.	परामर्शी सेवाए	0.3	0.4	1.1
10.	समुद्री यातायात	0.7	0.6	0.9
	शीर्ष 10 सेवा श्रेणियां	**26.4**	**18.4**	**56.6**
	कुल एफडीआई	**43.5**	**28.0**	**100.0**

स्रोत—औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग (DIPP) के आकड़ों पर आधारित

* वित्तीय, बैंकिंग, बीमा, गैर-वित्तीय व्यवसाय, आउटसोर्सिंग, अनुसंधान एवं विकास, कोरियर, प्रौद्योगिकी परीक्षण और विश्लेषण।

अवसंरचना कार्यकलापों और टाउनशिप, आवासीय, तैयार अवसंरचना तथा निर्माण-विकास परियोजनाओं को मिलाकर।

नोट— सर्वाधिक एफडीआई प्राप्तकर्ता क्षेत्र (2016-17): सेवा, दूरसंचार, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर।

महत्वपूर्ण तथ्य:

- विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) द्वारा एफडीआई आवेदनों की आनलाइन प्रक्रिया इ-फाइलिंग के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के बाद सरकार ने वर्ष 2017-18 के केन्द्रीय बजट में FIPB को समाप्त करने की घोषणा की।
- 10 जनवरी, 2018 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने एफडीआई नीति में संशोधनों को अनुमोदित किया, जिसके जरिए एकल ब्रांड खुदरा व्यापार के लिए स्वत: मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है।
- विदेशी एयरलाइनों को भी एयर इंडिया में 49% तक निवेश करने की अनुमति दी गई है।

तालिका 15.55: भारत का सेवा व्यापार (2016-17)

सेवा	निर्यात सेवा का मूल्य (बिलियम यूएस डालर में)	आयात सेवा का मूल्य (बिलियम यूएस डालर में)
यात्रा	23.2	16.4
यातायात	15.9	14.1
सॉफ्टवेयर सेवाएं	73.7	3.6
व्यवसाय सेवाएं	32.9	32.3
वित्तीय सेवाएं	5.1	5.9
कुल	163.1	95.7

स्रोत—आरबीआई के भुगतान शेष (BOP) के डाटा पर आधारित।

नोट—भारत सर्वाधिक सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जित करता है।

(v) भारत के प्रमुख सेवा प्रदाता क्षेत्र और उनका निष्पादन-

क्षेत्र	निष्पादन की स्थिति
पर्यटन:	• वर्ष 2016 में भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या 8.8 मिलियन रही और उनसे प्राप्त विदेशी मुद्रा 22.9 बिलियन अमेरिकी डालर रही। जबकि इसी अवधि में भारत से विदेश जाने वाले पर्यटकों की संख्या 21.9 मिलियन रही। • पर्यटन मंत्रालय के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार 2017 के दौरान भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या 10.2 मिलियन हो गयी और उनसे प्राप्त विदेशी मुद्रा 27.7 बिलियन अमेरिकी डालर रही। • 2016 में देशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाले शीर्ष राज्य हैं: 1. तमिलनाडु, 2. उत्तर प्रदेश, 3. आन्ध्र प्रदेश, 4. मध्य प्रदेश, 5. कर्नाटक । • देशी पर्यटकों द्वारा सर्वाधिक देखने वाले पर्यटन स्थल हैं: 1. ताजमहल, 2. कुतुब मीनार, 3. लाल किला। • विदेशी पर्यटकों द्वारा सर्वाधिक देखने वाले पर्यटन स्थल हैं:- 1. ताजमहल, 2. आगरा फोर्ट, 3. कुतुब मीनार।

पर्यटन को बढ़ावा देने के सरकारी प्रयास-

- 163 देशों के नागरिकों के लिए पर्यटकों, मेडिकल एवं बिजनेस की तीन श्रेणियों के अंतर्गत ई-वीसा की सुविधा शुरू की।
- विभिन्न चैनलों पर 2017-18 के लिए ग्लोबल मीडिया अभियान की शुरूआत।
- भारत में विश्व धरोहर स्थलों को लोकप्रिय बनाने के लिए 'द हेरिटेज ट्रेल' का प्रारम्भ।

- भारतीयों को अपने देश के प्रति जागरूक करने की दृष्टि से 'देखों अपना देश' का प्रारम्भ।

सूचना प्रौद्योगिकी-बीपीएम: सेवाएं (Business Process-Management-BPM)

- नासकाम के आंकड़ों के अनुसार भारत का सूचना प्रौद्योगिकी-बीपीएम वर्ष 2015-16 में 129.4 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2016-17 में 139.9 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। इस राशि में ई-कामर्स तथा हार्डवेयर को शामिल नहीं किया गया है।

सरकारी प्रयास-

- डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी, ई-गवर्नेस, कौशल भारत के जरिए डिजिटल प्रतिभा को प्रोत्साहन, नकदी रहित अर्थव्यवस्था की ओर पलायन और स्टार्ट अप इंडिया के जरिये सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है।

रियल स्टेट और आवासन:

- भारतीय रियल स्टेट में वर्ष 2017 में पिछले एक दशक की तुलना में उच्चतम होने की संभावना है और लगभग 5 बिलियन अमरीकी डालर की धनराशि जनवरी से जून, 2017 के बीच निवेशित की जा चुकी है।
- रियल स्टेट और निर्माण दोनों मिल कर देश में कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध करवाते हैं, जो निम्नवत् हैं:-

वर्ष	रोजगार उपलब्धता
2013 में	40 मिलियन जनशक्ति को
2017 तक	52 मिलियन जनशक्ति को
2022 तक	67 मिलियन जनशक्ति को

- उक्त तालिका से स्पष्ट है कि अगले 5 वर्षों में यह क्षेत्र 15 मिलियन से अधिक रोजगार पैदा करेगा, जो प्रतिवर्ष तीन मिलियन रोजगार के रूप में परिवर्तित होगा।

सरकारी प्रयास-

- प्रधानमंत्री आवास योजना जिसके तहत सरकार ने नवम्बर, 2017 तक शहरी क्षेत्र में वहनीय आवासीय खंड के लिए 3.1 मिलियन आवासीय इकाइयों को मंजूरी दी है।
- वाहनीय आवासीय खंडों के लिए 21 सितम्बर, 2017 को पीपीपी (Public Private Partnership) नीति भी घोषित की गई है ताकि 'वर्ष 2022 तक सबके लिए आवास' नामक महत्वाकांक्षी मिशन को पूरा किया जा सके।

अनुसंधान और विकास:

- अनुसंधान और विकास पर भारत का सकल व्यय काफी कम है अर्थात् जीडीपी का लगभग 1 प्रतिशत रहा है।
- **वैश्विक नवाचार सूचकांक 2017 में ब्रिक्स देशों की स्थिति-**

देश	वैश्विक नवाचार रैंक	R and D पर व्यय के आधार पर रैंक
ब्राजील	69	29
रूस	45	25
भारत	60	32
चीन	22	17
दक्षिण अफ्रीका	57	39

नोट—ब्रिक्स देशों में केवल द. अफ्रीका ही अनुसंधान एवं विकास व्यय रैंक में भारत से पीछे हैं, शेष अन्य देश भारत की तुलना में अनुसंधान एवं विकास में अधिक व्यय करते हैं।

- वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट 2017-18 में ब्रिक्स देशों की स्थिति-

देश	नवाचार की क्षमता के आधार पर रैंक	वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थाओं की गुणवत्ता के आधार पर रैंक	आरएंडडी के क्षेत्र में विश्वविद्यालयों का सहयोग के आधार पर रैंक	प्रतिमिलियन जनसंख्या पर पेटेंट के आवेदन के आधार पर रैंक
ब्राजील	73	77	70	53
रूस	65	41	42	46
भारत	42	35	26	63
चीन	44	36	28	30
द. अफ्रीका	30	42	29	49

स्रोत—वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट 2017-18, वैश्विक आर्थिक मंत्र।

सरकारी प्रयास-

- नीति आयोग द्वारा 'अटल नवाचारी मिशन' की स्थापना।
- वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए वर्ष 2016 में भारत और इजरायल के बीच करार में अगले दो वर्षों में प्रत्येक पक्ष से **1 मिलियन अमेरिकी डालर** का प्रावधन है, ताकि स्वास्थ्य देखभाल और साइबर सुरक्षा में बड़े पैमाने पर आकड़ा विश्लेषण के क्षेत्र में नई अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को सहायता दी जा सके।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वर्तमान में प्रयोग किए जाने वाले हाइड्रोफ्लूरोकार्बन्स जैसी प्रशीतक गैसों के विकृप के रूप में अगली पीढ़ी की दीर्घकालिक प्रशीतक प्रौद्योगिकीय विकसित करने के लिए अनुसंधान एवं विकास में पहल की है, ताकि ओजोन की परत और जलवायु पर इसके प्रभाव को कम किया जा सके।
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग का उद्देश्य लंबित बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) के आवेदनों को अनुमति देने में लगने समय को कम करना।
- वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने 39 आउटरीच केन्द्रों और 3 नवोन्मेष परिसर की स्थापना की है। सीएसआईआर की अनुसंधान व और विकास संबंधी विशेषज्ञता और अनुभव लगभग 3700 सक्रिय वैज्ञानिकों में निहित है, जिन्हें लगभग 6000 वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिकों द्वारा सहायता दी जाती है।

अंतरिक्ष सेवाएं:

- भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जिसमें सामाजिक विकास और कार्यनीतिक अपेक्षाओं से संबंधित मुद्दों का निराकरण करने के लिए संचार, नौसंचालन तथा भू-प्रक्षेपण शामिल है, के द्वारा राष्ट्रीय विकास में योगदान देता है।
- उपग्रह मानचित्रण और प्रक्षेपण सेवाएं ऐसे दो क्षेत्र हैं जहां भारत अपनी धाक जमाये हुए है। ये क्षेत्र भविष्य में बहुत संभावनाओं से भरे हुए भी हैं।
- इसरो भारतीय रिमोट सेसिंग सेटेलाइट्स रिसोर्ससेट-2 और ओशियन सेन-2 से आकड़े प्राप्त करने और उन्हें संसोधित करने के लिए म्यामार सहित आसियान सदस्यों को सहायता प्रदान कर रहा है।
- एंट्रिक्स इंडियन रिमोर्ट सेंसिंग (IRS) उपग्रहों से सीधे संकेत प्राप्त करने और डाटा के प्रोसेसिंग को समर्थ बनाता है। खासकर अंतरराष्ट्रीय ग्राउंड स्टेशनों/भारत के बाहर प्रोसेसिंग सुविधाओं पर रिसोर्स सेट-2, ओसन सेट-2 और कार्टो सेट-II, निर्यात हेतु काफी संभावना है और एंट्रिक्स, अंतर्राष्ट्रीय ग्राउंड स्टेशन को बढ़ाने पर कार्य कर रही है और इस संबंध में वार्ताए अगले चरण पर हैं।
- मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार उपग्रह प्रक्षेपण के क्षेत्र में PSLV ने 254 उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिए हैं, जिनमें प्रमुख हैं-

29 देशों के विदेशी उपग्रह	–	209
राष्ट्रीय उपग्रह	–	37
विश्वविद्यालयों/शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा निर्मित विद्यार्थी उपग्रह	–	08
कुल उपग्रह	**–**	**254**

- भारत को उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं के निर्यात से प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा है-

वर्ष	विदेशी मुद्रा
2014-15	149 करोड़ रूपये
2015-16	394 करोड़ रूपये
2016-17	275 करोड़ रूपये

- वैश्विक उपग्रह प्रक्षेपण सेवा राजस्व में भारत की हिस्सेदारी 2014-15 में 0.3% से बढ़कर 2015-16 में 1.1 प्रतिशत हो गई है।

सामाजिक अवसंरचना, रोजगार और मानव विकास (Social Infrastructure, Employment and Human Development)

मानव विकास

अर्थशास्त्रियों को बहुत पहले से ही ज्ञात है '**मानव**' राष्ट्र की संपदा के जरूरी घटक है, इसलिए सरकार 'मानव संसाधन' पर व्यय भी बढ़ाती रही है। मानव संसाधन में निवेश राष्ट्र-निर्माण करने वाली स्वस्थ और उत्पादक जनता में निवेश माना जाता है। अत: शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, आमदनी में स्त्रियों से जुड़े अनानुपातिक अंतरालों को पाटना और समाज में व्याप्त सामाजिक विषमता को कम करना मानव सामर्थ्य को संवर्धित करने की विकास परत कार्यनीति के मूल लक्ष्य रहे है।

सामाजिक अवसंरचना

भारत में समावेशी और सतत विकास लाने के लिए, सामाजिक अवसंरचना जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा को सरकार द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। विकासशील अर्थव्यवस्था होने के कारण, भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण सामाजिक अवसंरचना पर व्यय बढ़ाने की पर्याप्त वित्तीय गुंजाइश नही है। तथापि, सीमित संसाधनों को देखते हुए सरकार ने जनता की शैक्षिक और स्वास्थ्य विषयक स्थिति के सुदृढीकरण को लगातार प्राथमिकता दी है।

रोजगार

रोजगार सृजन के अवसर पैदा करने तथा अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर कार्यरत जनता को स्थायी आजीविका प्रदान करने की लिए विधायी सुधार तथा श्रम सुधार के अनेक उपाय लागू किये जा रहे है।

(i) भारत में शिक्षा: स्थिति एवं विकास

लक्ष्य:
- भारत सरकार 'समाज की सभी श्रेणियो के छात्रों के लिए समावेशी और गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने तथा आजीवन शिक्षा प्राप्ति को बढ़ावा देने' के मामले में 2030 तक शिक्षा के लिए सतत विकासपरक लक्ष्य, संख्या 4 (SDG_s-4) प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

सरकारी प्रयास:
- प्रारम्भिक शिक्षा के व्यापकीकरण के लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से **2010 में नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009,** अधिनियमित किया गया, जो 6-14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के लिए मुफ्त और अनिवार्य दाखिला, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता का हक देता है।

- निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों विद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात, इमारत और अवसंरचना, विद्यालय कार्य दिवसों, शिक्षकों के कार्य घंटों से संबंधित मानक और मानदण्ड बनाए रखने हेतु मार्ग निर्देश निर्धारित करता है।

शिक्षा में व्यय की स्थिति:

वित्तीय वर्ष	शिक्षा पर व्यय (लाख करोड़ में)	शिक्षा पर व्यय जीडीपी के % के रुप में	कुल व्यय का वह हिस्सा जो शिक्षा पर व्यय किया गया है % के रुप में
2012–13	3.13	3.1	11.6
2013–14	3.48	3.1	11.6
2014–15	3.54	2.8	10.8
2015–16	3.31	2.4	9.8
2016–17 (संशोधित आंकड़े)	3.95	2.6	9.7
2017–18 (बजट अनुमान)	4.41	2.7	10.0

स्रोत—केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों तथा आर.बी.आई. के बजट प्रपत्र।

नोट—शिक्षा पर व्यय का संबंध शिक्षा, क्रीडा एवं संस्कृति पर से है।

परिणाम:

- किसी दिये गये विद्यालय-वर्ष में किसी विद्यालय में कक्षा अनुसार छात्रों की औसत संख्या एससीआर (Student Classroom Ratio) कहलाती है। आदर्श आकार 30 छात्र प्रति कक्षा होना चाहिए। 30 छात्रों से अधिक एससीआर वाले विद्यालयों का प्रतिशत 2009–10 में 43 प्रतिशत से घटकर 2015–16 में 25.7 प्रतिशत रह गया, जो शिक्षा की प्रगति का अच्छा सूचक है।
- प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात 30 : 1 और उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात 35 : 1 होना चाहिए। इस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

स्त्री पुरुष समानता सूचकांक:

- स्त्री पुरुष समानता सूचकांक विद्यालयी शिक्षा में ऐसी उपयोगी संकेतांक है जो शैक्षिक अवसरों की प्राप्ति में बलिकाओं के साथ भेदभाव को दर्शाता है।
- उच्च शिक्षा में, नामांकन में स्त्री पुरुष विषमताएं अभी भी बनी हुई है जिनके बारे में सरकार उच्च शिक्षा में महिलाओं की निवल प्रवेश दर को सुधरने का निरंतर प्रयत्न कर रही है।
- बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं जैसे कार्यक्रमों के जरिए किये जाने वाले सरकार के निरंतर प्रयत्नों के परिणामस्वरूप, प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों के नामांकन पर स्त्री पुरुष समानता सूचकांक (GPI-Gender Parity Index) में पर्याप्त सुधर हुआ है।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ: योजना एक दृष्टि में:

प्रारम्भ : वर्ष 2015

मंत्रालय: महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालयों का संयुक्त प्रयत्न है।

उद्देश्य : यह योजना बच्चियों के जीवन धारण, रक्षण और शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई है साथ ही इस योजना का उद्देश्य मामले की गंभीरता के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने और सामाजिक मानसिकता बदलने पर लक्षित व्यापक अभियान के जरिए घटते शिशु लिंग अनुपात (Child Sex Ratio) के मामले का निराकरण करना है।

नोट—इस योजना को देश के सभी 640 जिलों में विस्तार हेतु अनुमोदित किया गया है।

(ii) भारत में स्वास्थ्य: स्थिति एवं विकास

लक्ष्य:
- सभी आयु के सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य जीवन सुनिश्चित करना और स्वस्थता को बढ़ावा देना धरणीय विकासपरक लक्ष्य संख्या-3 (SDGs-3) का उद्देश्य है।

सरकारी प्रयास:
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission-NHM) के अधीन, सरकार जन स्वास्थ्य सुविधाओं में आवश्यक निदान सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 'राष्ट्रीय निशुल्क निदान सेवा' के जरिए राज्यों को सहायता प्रदान कर रही है। वर्ष 2017-18 में 29 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को एनएचएम के अधीन निशुल्क निदान सेवा पहल के लिए 759 करोड़ रूपये की धनराशि अनुमोदित की गई है।
- भारत सरकार ने राज्यों को 'निशुल्क औषध पहल' के क्रियान्वयन के लिए व्यापक संरचना उपलब्ध कराने के लिए जुलाई, 2015 में मार्गनिर्देश जारी किए हैं। राष्ट्रीय निशुल्क औषध पहल के अधीन एनएचएम का उद्देश्य सभी जन स्वास्थ्य सुविधाओं में नि:शुल्क औषध उपबंध की उपलब्धता का विस्तार करना है।
- भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (Medical Council of India-MCI) ने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (पेशेवर आचरण, शिष्टाचार और नीति) विनियम 2002 ने तारीख 21.09.2016 की अधिसूचना के जरिए संशोधन किया है, जो यह निर्धारित करता है कि 'प्रत्येक चिकित्सक को साफ-साफ और तरजीही तौर पर स्पष्ट अक्षरों में जेनेटिक नामों के साथ औषध विहित करनी चाहिए और, वह यह सुनिश्चित करेगा कि औषध का औचित्यपूर्ण निर्धारण और प्रयोग हो।'

स्वास्थ्य में व्यय

वित्तीय वर्ष	स्वास्थ्य पर व्यय (लाख करोड़ में)	स्वास्थ्य पर व्यय जीडीपी के% के रूप में	कुल व्यय का वह हिस्सा जो स्वस्थ्य पर व्यय की स्थिति व्यय किया गया है % के रूप में
2012-13	1.26	1.3	4.7
2013-14	1.39	1.2	4.6
2014-15	1.49	1.2	4.5
2015-16	1.52	1.1	4.5
2016-17 (संशोधित)	2.26	1.5	5.6
2017-18 (बजट अनुमान)	2.25	1.4	5.1

स्रोत—केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों तथा भारतीय रिजर्व बैंक के बजट प्रपत्र।

नोट—'स्वास्थ्य' पर व्यय के अंतर्गत चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा जल आपूर्ति तथा स्वच्छता पर किया जाने वाला व्यय शामिल है।

(iii) महिलाओं और बच्चों के लिए सरकारी कार्यक्रम

योजना	महत्वपूर्ण तथ्य
एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS):	इस योजना का लक्ष्य 6 वर्ष तक की आयु के शिशुओं का समग्र विकास करना और गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान करवाने वाली माताओं की पोषण विषयक जरूरतें पूरी करना है।
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना (PMMVY):	पात्र गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पूर्ववर्ती मातृत्व लाभ कार्यक्रम का नाम जनवरी 2017 में अब 'प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना' रख दिया गया है, जो नकदी प्रोत्साहन की दृष्टि से आंशिक क्षतिपूर्ति करने वाली केन्द्र प्रायोजित योजना है। इसमें महिलाएं प्रथम संतान के प्रजनन से पूर्व और पश्च पर्याप्त आराम कर सकती है। प्रदत्त नकदी प्रोत्साहन की परिणति पीडब्ल्यू एवं एलएम

के बीच बेहतर स्वास्थ्य अनुपालन रवैये में होगी। इस योजना में गर्भावस्था और स्तन-पान की अवधि में डीबीटी (Direct Benifit Transfer) मोड में 5000/- रूपये तक की नकदी प्रोत्साहन रकम प्रदान करने का उल्लेख है। मातृत्व लाभ हेतु 1000/- रूपये का शेष नकदी प्रोत्साहन संस्थागत प्रसव के बाद जननी सुरक्षा योजना के तहत प्रदान किया जाता है, जिससे औसत रूप में कोई महिला 6000/- रूपये प्राप्त करेगी।

राष्ट्रीय पोषण मिशन (NNM) भारत सरकार ने 2017-18 से प्रारम्भ हो रहे 'राष्ट्रीय पोषण मिशन' (NNM) की स्थापना करने का अनुमोदन किया है। एनएनएम शीर्ष निकाय के रूप में, विभिन्न मंत्रलयों के बीच पोषण विषयक पहल कदमियों का अनुवीक्षण, पर्यवेक्षण करेगा, इनके लिए लक्ष्य तय करेगा और मार्गदर्शन करेगा। लक्ष्यों पर चलने वाला यह कार्यक्रम अविकसित, कुपोषित, रक्ताल्पता-वाले और कम वजन के पैदा हुए शिशुओं का स्तर कम करने का प्रयत्न करता है।

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (PMUY) : यह योजना गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की 5 करोड़ महिलाओं को 2016-17 से तीन वर्ष की अवधि में एलपीजी

कनेक्शन प्रदान करने के लिए मई, 2016 में प्रारम्भ की गई थी। इस योजना का लक्ष्य महिलाओं और उनकी संतानों के स्वास्थ्य को स्वच्छ रसोई ईंधन एलपीजी उपलब्ध करवाकर सुरक्षित रखना है ताकि उन्हें धुएंदार रसोई घर में स्वास्थ का नुकसान न हो या अस्वच्छ क्षेत्रों में ईंधन एकत्र करते हुए खाक न छाननी पड़े।

नोट—अपनी प्रारम्भिक अवधि से लगभग 3.3 करोड़ एलपीजी कनेक्शन 18 जनवरी, 2018 तक की स्थिति के अनुसार मुहैया करवा दिए गए है।

महिलाओं का राजनीति में सशक्तीकरण: एक दृष्टि में

- संसद और सार्वजनिक पटल पर निर्णायक भूमिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सशक्तीकरण के प्रमुख संकेतकों में से एक है।
- राजनीति में महिलाए 2017 नामक रिपोर्ट में, भारत में महिलाओं की राजनीतिक सशक्तीकरण के महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले गये हैं, जो निम्नवत् हैं-
  - लोक सभा में 64 महिलाएं सांसद के रूप में अपनी स्थिति दर्ज करवाती हैं। यह 64 महिला सांसद कुल संसद सदस्य (542) का मात्र 11.8 प्रतिशत है।
  - राज्य सभा में 27 महिलाएं राज्य सभा सदस्य हैं। यह 27 महिलाएं कुल राज्य सभा सदस्या (245) का मात्र 11 प्रतिशत है।
  - अक्टूबर, 2016 की स्थिति के अनुसार देश भर में कुल 4118 विधन सभा सदस्यों में केवल 9 प्रतिशत महिलाए थी।
  - राज्यों की विधान सभा में महिलाओं का सर्वोच्च प्रतिशत 14 प्रतिशत के साथ बिहार, हरियाणा और राजस्थान से थे। इसके बाद 13 प्रतिशत के साथ मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा 12 प्रतिशत के साथ पंजाब का स्थान था।
  - भारत जैसे देश में, जहां महिलाओं की आबादी लगभग 49 प्रतिशत है। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कम रही है। विशेषकर पुरूष-प्रधान मानकों का अनुसारण करने वाले और पक्षपाती समाज में विभिन्न कारक लोक सेवा में महिलाओं की भागीदारी निर्धारित करते हैं।
  - रवांडा जैसे विकासशील देश हैं जहाँ वर्ष 2017 में संसद में 60% महिला प्रतिनिधि है, जबकि मिस्र, भारत, ब्राजील, मलेशिया, जापान, श्रीलंका और थाईलैण्ड जैसे देशों में संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 15 प्रतिशत या उससे कम है।
- महिलाओं को राजनीति में आने से रोकने वाले शीर्ष 5 कारक हैं- 1. घरेलू जिम्मेदारियां, 2. समाज में महिलाओं की भूमिका संबंधी प्रचलित सांस्कृतिक नजरिया, 3. परिवार से समर्थन की कमी, 4. विश्वास की कमी, 5. वित्त की कमी।
- महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और नेतृतव की भूमिका को बढ़ावा देने के लिये भारत के संविधान के अनुच्छेद-243घ(3) में यह प्रावधान है कि महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कुल संख्या के 1/3 से कम न होंगे। अनुच्छेद-243घ(4) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के कुल पदों के 1/3 से अनधिक पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।
- भारत के स्थानीय शासन स्तरों पर महिलाओं का प्रर्याप्त प्रतिनिधित्व रहा है, किन्तु यह राज्य दर राज्य भिन्न है। दिसम्बर, 2017 तक पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या 13.72 लाख है, जो कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों का 44.2 प्रतिशत बैठती है।
- देश भर में कुल ग्राम पंचायतों में 43 प्रतिशत महिला सरपंच होना स्थानीय शासन में महिलाओं के सक्रिय नेतृत्व को दर्शाता है।